शांति के पथ पर.....

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2017-18

महात्मा गांधी सेवा आश्रम

जौरा, मुरैना (म.प्र.)

आभार

गांधी जी ने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा धर्म माना था। उनका कहना था की उनका सबसे बड़ा धर्म सत्य और अहिंसा है। सत्य को पाने के लिए अहिंसा को एक रास्ते के रूप में उन्होंने प्रयोग किया। अहिंसा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरुरी है। इस बात को पूरी दुनिया ने माना है। गांधी जी के अनुसार यदि आप शांति पाना चाहते हैं तो शांति तक पहुंचने का रास्ता भी शांति का ही है। शांति एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर बिना किसी हानि के हम किसी भी उच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं।

महात्मा गांधी के इन्ही विचारों को व्यवहारिक रूप में स्थापित करने के लिए भाई जी और राजा जी ने चम्बल घाटी के विभूतियों के साथ मिलकर जौरा में महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की। 70 के दशक में चम्बल में बागी आत्मसमर्पण और उनके पुनर्वास तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुर्नरचना के साथ प्रारंभ यह संस्था वर्तमान में वंचित समाज का सशक्तिकरण, पोषण आहार व खाद्यय सुरक्षा, सामाजिक न्याय, जीवन जीने के संसाधनों पर स्थानीय समुदाय के अधिकार, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम उन्मूलन, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ तथा खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्रम मणिपुर, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में समाज परिवर्तन के लिए स्वैच्छिक रूप से संचालित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर सरकार और स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ जनपैरवी भी कर रहा है, जिससे कि महात्मा गांधी के सपनों पर आधारित शांति व अहिंसक समाज की रचना की जा सके।

प्रख्यात गांधीवादी और सर्वोदयी नेता प्रातः स्मरणीय व वन्दनीय परमादरणीय डा.एस.एन. सुब्बराव (भाई जी) और डा. राजगोपाल पी.व्ही. (राजा जी) का मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा जिनके नेतृत्व और सानिध्य में संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य रहा हूँ। प्रबंध कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों और दान-दाता एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो समय-समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमारा मार्गदर्शन व सहयोग करते हैं। मैं संस्था से जुड़े उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति दिल से आभारी हूँ जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनवरत कार्य कर रहे हैं।

सादर सहित्।

रनसिंह परमार
सचिव

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	वंचित समुदाय का सशक्तिकरण	05
2.	वंचित समुदाय का आर्थिक स्वावलम्बन	10
3.	चाइल्ड लाइन	12
4.	बेटी बचाओ-बेटी पढाओ	16
5.	खादी व ग्रामोद्योग	18
6.	चम्बल शहद	
7.	महिलाओं के लिये सुनिश्चित आजीविका	24
8.	वर्मी कम्पोस्ट-केंचुआ खाद उत्पादन ईकाई	26
9.	दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, श्योपुर	30
10.	मध्य प्रदेश में कमजोर समुदायों के बीच खाद्य और पोषण सुरक्षा कार्यक्रम	34
11.	REDUCE AND PREVENT AT RISK HILDREN FROM LABOUR IN COTTON FARMS	39
12.	बाल आनन्द महोत्सव	44
13.	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (के.आर.डी.पी)	48

महात्मा गांधी सेवा आश्रम

एक परिचय

महात्मा गांधी की जन्मशताब्दी वर्ष 1969 में स्थापना मध्यप्रदेश के चम्बल घाटी के मुरैना जिले के जौरा में महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना उस समय हुई जब चम्बल घाटी हिंसा व प्रतिहिंसा के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात था। अहिंसा और शांति स्थापना के उद्देश्यों को लेकर प्रख्यात सर्वोदयी नेता और गांधीवादी डा. एस.एन.सुब्बाराव (भाई जी) द्वारा इसकी स्थापना की गयी। जौरा ही नहीं बल्कि पूरी चम्बल घाटी उस समय दस्यु तथा बागी समस्या से पीड़ित थी। प्रारंभ में विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बागी आत्मसमर्पण और बागी पुनर्वास का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। चम्बल घाटी के पुनर्निमाण में युवाओं को रचनात्मक कार्यो से जोड़ने के लिए युवा एकता व नेतृत्व शिविरों की श्रृंखला के माध्यम से घाटी के दूर–दराज गावों को सम्पर्क मार्ग से जोडने और सिंचाई के लिए नहर और तालाब निर्माण तथा बीहड़ समतलीकरण के माध्यम से जल संरक्षण व मृदा संरक्षण पर काम किया गया। ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये। धीरे–धीरे हिंसा के अनेक प्रतिरूपों में शामिल प्रमुख ढांचागत हिंसा की समाप्ति के लिए वंचित समुदाय विशेषकर दलित और आदिवासियों के बीच जन जागरूकता कार्यक्रम अपनाया गया और जीवन–जीने के प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार के लिए भूमि अधिकार अभियान प्रारंभ किया गया। वंचित समुदाय को भूमि अधिकार मिलने के बाद भूमि का विकास और जलसंरक्षण का कार्य जारी रहा। वंचित समुदाय में नेतृत्व की क्षमता विकसित हुई और समुदाय आधारित संगठन का गठन प्रारंभ हुआ। आज संस्था के कार्यक्षेत्र में वंचित समुदाय संगठित होकर सामुदायिक संगठन के माध्यम से अपने अधिकारों के लिए संगठित तरीके से अहिंसात्मक जनपैरवी कर रहे हैं। वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रचना के लिए टिकाउपन खेती के परंपरागत जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए कृषि आधारित आर्थिक स्वावलम्बन के लिए कार्य जारी है।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम का विश्वास है कि गरीबी उन्मूलन और अहिंसक समाज की रचना के लिए गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना को साकार करने की जरूरत है जिससे गॉव, गरीब और ग्रामीण खुशहाल जिंदगी जी सकें।

महात्मा गांधी सेवा आश्रम एक स्वैच्छिक संस्था है, इसका पंजीयन मध्यप्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन किया गया। यह संस्था विगत पांच दशकों से चम्बल घाटी, मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में समाज परिवर्तन के लिए काम कर रही है।

संस्था का स्वप्न (विजन)

महात्मा गांधी सेवा आश्रम का सपना एक ऐसे समतामूलक, शोषण मुक्त समाज की रचना से जुड़ा हुआ है, जहॉ सबके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सूचनाएं, अवसर, संसाधन व क्षमताएं उपलब्ध हों।

संस्था का लक्ष्य (मिशन)

अपने सपने को पूरा करने के लिए संस्था का लक्ष्य समाज के पिछड़े, गरीब, दलित, आदिवासी तथा महिलाओं को संगठित कर उनकी विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी बढाना है, जिससे इन वर्गो के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर को बेहतर किया जा सके।

संस्था का उद्देश्य

अपने उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम ने अपने प्रयासों को निम्न उद्देश्यों पर केन्द्रित किया है–

1. प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार सुनिश्चित करने और जल, जंगल जमीन के बेहतर प्रबंधन व दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित करते हुए ग्रामीणों, आदिवासियों और दलितों की आजीविका संवर्धन एवं सम्मान की रक्षा के लिए प्रयास करना, समुदाय आधारित संगठन का निर्माण और पैरवी करना।
2. दलित, आदिवासी एवं पिछडे वर्ग को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उनका क्षमता विकास करना ताकि वे अपने इन अधिकारों को प्राप्त कर सकें।
3. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जन और तंत्र के बीच की खाई को भरने के लिए सूचना एवं जानकारियों का आदान प्रदान करना।
4. विशेष रूप से महिलाओं को सामाजिक व राजनैतिक नेतृत्व की भूमिका में आगे बढने के लिए तथा आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनकी क्षमता का विकास करना।
5. पर्यावरण, स्वास्थ्य व शिक्षा, स्त्री पुरूष समानता, पंचायती राज व्यवस्था, मानवाधिकार, रोजगार सृजन, नारी सशक्तिकरण इत्यादि सामाजिक सारोकार से जुडे मुद्दों पर जन जागरूकता पैदा करना।
6. जीवन जीने के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना।
7. सत्ता विकेन्द्रीकरण (पंचायती राज व्यवस्था) के चल रहे प्रयासों में समाज के वंचित, आदिवासी, दलित व महिलाओं की भागीदारी व नेतृत्व बढाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना।
8. बाल अधिकार, शिक्षा और लैगिंक समानता के लिए पोषण आहार, बाल श्रम उन्मूलन और बेटी पढ़ाओं–बेटी बचाओं अभियान संचालित करना।

1. वंचित समुदाय का सशक्तिकरण

महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा, मुरैना, मध्यप्रदेश संस्था के द्वारा बी.एफ.डब्ल्यू परियोजना पिछले लगभग 11 वर्षो से भारतवर्ष के 6 राज्यों के 775 गांवों में संचालित है।

परियोजना का लक्ष्य ''मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम और मणिपुर के 775 गांवों के लक्ष्य समूहों (आदिवासी, दलित, घुमन्तु समुदाय, भूमिहीनों तथा वंचित वर्ग के लोगों) को सशक्त बनाना ताकि संबंधित राज्य के वन अधिकार अधिनियम, राजस्व अधिनियम तथा आवासीय भूमि अधिकार के तहत वे अपने दावे/आवेदन लगा सकें और भूमि और जीविकोपार्जन के अधिकार प्राप्त कर सकें।''

यह परियोजना दीर्घकालीन संस्थागत संबंधों को स्थापित करते हुये एक मजबूत और न्यायपूर्ण नागर समाज के निर्माण के लिय माहौल और ढांचा तैयार करने में मदद करता है। अतः परियोजना के निर्धारित कार्यक्रमों को संचालित कर देना तथा परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना भर ही इसका उद्देश्य नहीं है बल्कि लम्बे समय तक आवश्यक और रणनीतिगत सहयोग कर संस्था तथा लक्ष्य समूहों का सर्वांगीण विकास ही इस परियोजना के मजबूत संबंधों का आधार है।

परियोजना का कार्यक्षेत्र

पिछले वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा बी.एफ.डब्ल्यू परियोजना के तहत 6 राज्यों, 20 जिलों, 37 ब्लॉकों तथा 775 गांवों में काम किया जा रहा है। इस वर्ष परियोजना के भौगोलिक क्षेत्र में एक नया जिला सरगुजा को जोड़ा गया है।

यह परियोजना मुख्यतः सहरिया, बैगा, गोंड, पण्डो, सबर, दलित, घुमन्तु आदिम जनजातियों/ समुदायों के साथ सघन रुप से काम कर रहा है। वर्तमान में इस परियोजना के कार्यक्षेत्र को राज्यवार तालिका में देखा जा सकता है।

सारणी क्रमांक–1 परियोजना का कार्यक्षेत्र

राज्य	जिला	ब्लॉक	गाँवों की संख्या
मध्यप्रदेश	4	11	253
उत्तरप्रदेश	2	6	124
ओडिसा	2	4	122
छत्तीसगढ़	3	4	110
मणीपुर	3	4	66
असम	6	8	100
6	20	37	775

परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कार्यक्षेत्र में निम्न प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं–

- कार्यक्षेत्र के सभी गांवों में मजबूत संगठन का निर्माण करना।
- वंचित वर्ग के लोगों में नेतृत्व विकसित करना।
- वन अधिकार अधिनियम के नियमानुसार ग्राम स्तरीये वन अधिकार समिति को सशक्त और जागरुक करना ताकि पात्र परिवारों को वन भूमि का अधिकार मिल सके।
- वन अधिकार अधिनियम, राजस्व अधिनियम तथा आवासीय भूमि अधिकार के तहत दावे/आवेदन दर्ज कर भूमि अधिकार सुनिश्चित करना।
- महिलाओं के नाम से व्यक्तिगत/संयुक्त भूमि अधिकार दिलाना।
- उत्तर प्रदेश में सहरिया समूदाय को अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ के पण्डों समुदाय को आदिम जाति का दर्जा प्रदान कराने के लिए प्रयास करना।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत दावा से कम भूमि प्राप्त होने के खिलाफ ग्राम–सभा को विरोध प्रस्ताव लाने के लिये प्रोत्साहित करना और न्यायालय में जनहित याचिका दायर करना।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत सामूदायिक दावा लगाना तथा ऐसे गांवों को जिसे शहरी क्षेत्र में जोड़ लिया गया है, के अधिकार दिलाने का प्रयास करना।
- सरकार की गरीब विरोधी नीति और कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना।
- असम में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिये स्थाई पुर्नवास नीति तथा मणिपुर में आवास नीति बनाने के लिये सरकार के साथ पैरवी करना।
- श्रमदान के माध्यम से जल संरक्षण का काम करना।
- भूमि अधिकार प्राप्त परिवारों को जैविक खेती करने के लिये प्रोत्साहित करना।

गतिविधियां :

कार्यक्षेत्र में नियमानुसार चलने वाली ग्राम इकाई की मासिक बैठक, अनाज कोष, ग्राम कोष संग्रहण के अलावा कुछ विशेष कार्यक्रम और गतिविधियां की गई जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है–

कार्यक्रम का नाम	स्थान	दिनांक
कानूनी प्रशिक्षण	ग्वालियर रायपुर तिल्दा मणीपुर	8–10 अप्रेल 2017 24–25 अप्रेल 2017 29–30 अप्रेल 2017 7–9 मई 2017

कार्यक्रम का नाम	स्थान	दिनांक
	असम गुवाहाटी, असम रायपुर भुवनेश्वर, उडिसा तिल्दा, छत्तीसगढ	20–21 जुन 2017 10–11 अगस्त 2017 18–21 अगस्त 2017 23–24 अगस्त 2017 21–24 नवम्बर 2017
स्थानीय एवं क्षेत्रीय भूमि सम्मेलन	भोपाल अशोकनगर ललितपुर रांची, झारखण्ड त्रिवेन्द्रम भोपाल भुवनेश्वर, उडिसा लखनऊ भोपाल कापानवापारा, छत्तीसगढ़	14 अप्रेल 2017 24 मई 2017 25 मई 2017 25–26 मई 2017 29 जुलाई 2017 20 अगस्त 2017 22–23 अगस्त 2017 26 अगस्त 2017 19 सितम्बर 2017 31 दिसम्बर 2017
राष्ट्रीय भूमि सम्मेलन	ग्वालियर पलवल, हरियाणा	7–8 नवम्बर 2017 11–12 दिसम्बर 2017
जनसुनवाई	मुरैना अशोकनगर गुना ग्वालियर अशोकनगर शिवपुरी ग्वालियर शिवपुरी	5–8 जुलाई 2017 24–25 अक्टुबर 2017 2 नवम्बर 2017 5 नवम्बर 2017 14 नवम्बर 2017 16 नवम्बर 2017 19 दिसम्बर 2017 22 दिसम्बर 2017
जनवकालत कैम्प	ग्वालियर तिल्दा अशोकनगर	29–30 अगस्त 2017 8–9 सितम्बर 2017 18 दिसम्बर 2017
श्रमदान शिविर	खुर्दा, उड़िसा	4–13 अप्रेल, 14–17 अप्रेल और 1–5 मई 2017

कार्यक्रम का नाम	स्थान	दिनांक
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	ग्वालियर,मुरार और घाटीगांव	8 मार्च 2018
शराबबन्दी के लिये अभियान	ग्वालियर गुना अशोकनगर	26 मई 2017 27 फरवरी 2018 15 फरवरी 2018
पदयात्रा	ललितपुर, उत्तरप्रदेश	25 मई से 1 जून 2017
जनजागरण शिविर	इरावन, शिवपुरी बिजरावन, शिवपुरी	18 सितम्बर 2017 1 अक्टुबर 2017
जैविक खेती का प्रशिक्षण	देहरादुन, उत्तराखण्ड टांगी, उड़िसा	5–7 जुन 2017 17–18 दिसम्बर 2017
युवा शिविर	मणीपुर असम	16–20 नवम्बर 2017 3–7 मार्च 2018

परियोजना का प्रभाव और उपलब्धियां :

- वर्ष 2017–18 में वन अधिकार अधिनियम, राजस्व अधिनियम तथा आवासीय भूमि अधिकार के तहत कुल 13752 आवेदन दर्ज किये गये। इस वर्ष दर्ज कुल दावों में से देश के उत्तरपूर्व के दो राज्यों असम और मणिपुर के कार्यक्षेत्र से कुल 6220 आवेदन दर्ज किये गये जो परियोजना की एक बड़ी उपलब्धि रही।
- दर्ज दावों में से 1646 परिवारों को भूमि अधिकार प्राप्त हुआ जिसमें से 1429 भूमि दस्तावेजों पर महिलाओं का नाम दर्ज है।
- परियोजना के कुछ चुनिन्दा गांवों में छोटे स्तर पर जलसंरक्षण और जल संवर्धन का काम भी किया गया जैसे उड़ीसा में श्रमदान के माध्यम से 3 गांवों में चेक डेम बनाया गया।
- परियोजना के कार्यक्षेत्र में समुदाय के सदस्यों ने स्वेच्छा पूर्वक संगठनात्मक गतिविधियों के लिए कुल 192 क्विंटल अ(ाज ;गेहुँ और चावल) अनाज कोष में इकट्ठा किया ।
- उड़ीसा, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के कार्यक्षेत्र में 450 परिवारों को जैविक खेती से जोड़ा गया।
- परियोजना के दृष्टिकोण से यह वित्तीय वर्ष काफी महत्वूपर्ण रहा क्योंकि नवम्बर 2017 में परियोजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया।
- असम राज्य में बाढ़ के दौरान राहत कार्य भी किये गये।

• कार्यकर्ताओं के लिये एक विशेष प्रकार की डायरी भी बनाई गई ताकि कार्यकर्ता अपनी योजना और किये गये कार्यो के बारे में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से लिख सकें।

2. वंचित समुदाय का आर्थिक स्वावलम्बन

परियोजना का परिचय

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में वंचित समुदाय विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के पलायन और गरीबी को दूर करने तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए टिकाउपन आजीविका सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कृषि और वनोपज आधारित गतिविधियों को मजबूत कर वंचित समुदाय के परिवारों के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए चेंज एलायंस, नई दिल्ली के सहयोग से यह परियोजना संचालित की जा रही है।

सारणी क्रमांक 2 : परियोजना का कार्यक्षेत्र

राज्य	जिलों की संख्या	गाँव की संख्या	लक्ष्य परिवार संख्या
मध्यप्रदेश	4	80	1600
छत्तीसगढ	1	10	200
राजस्थान	1	10	200
	6	100	2000

परियोजना के उद्देश्य :

परियोजना के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- सरकारी तथा गैर सरकारी आजीविका की योजनाओं को हासिल करना।
- वंचित समुदाय के लिए टिकाउपन आजीविका।
- आर्थिक उपक्रम (इंटरप्राइजेज) का विकास।

परियोजना की गतिविधियाँ :

- **दस्तावेजीकरण और अध्ययन :**

  समुदाय के बीच गठित स्वयं सहायता समूह की स्थिति का विश्लेषण, संभावित उपक्रम के लिए अध्ययन, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार करना इसमें शामिल है।

- **स्वयं सहायता समूह का गठन और मजबूती तथा आर्थिक गतिविधियों का संचालन :**

  वंचित समुदाय के बीच पूर्व में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों का क्षमता विकास करना, बैंक से

लिंकेज करना, आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना,ऋण प्राप्त करना, ऋण की अदायगी सुनिश्चित करना तथा खेती व वनोपज आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रांरभ करना है।

- **स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का क्षमता विकास :**

  समुदाय तथा उपक्रम विकास के कार्य में लगे सदस्यों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना और क्षेत्र भ्रमण कराना प्रस्तावित है।

- **आर्थिक उपक्रम (इंटरप्राइजेज) का विकास :**

महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा रून्नीपुरा और साकंरा गांव में विगत चार वर्षो से दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शहद की परियोजना संचालित की जा रही है। इसका परिणाम सफल और सकारात्मक रहा है। जिसकी संभावनाओं के विस्तार के लिए महिला किसान उत्पादकों की एक कम्पनी भी गयी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में राजा जी के नेतृत्व में वरिष्ठ साथियों के साथ ग्वालियर में हुई बैठक में निम्न कार्यो की स्वीकृति प्राप्त हुई–

- **शहद विपणन के लिए प्रभावशाली पैकेजिंग :** महिला किसान उत्पादक कम्पनी के माध्यम से शहद उत्पादन का कार्य किया जाता है। जिसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा किया जाता है। इसके प्रभावशाली पैकेजिंग का कार्य इस परियोजना में प्रस्तावित किया गया है। पैकेजिंग और विपणन का कार्य चम्बल हनी के के नाम से किया जायेगा।
- **तेल घानी सरसो व अलसी तेल :** परंपरागत तरीके तेल घानी से तेल बीजों से तेल निकालकर उसका विपणन करने के लिए तेलघानी इकाई की स्थापना महात्मा गांधी सेवा आश्रम में किया जाना है। चम्बल क्षेत्र सरसों का उत्पादक क्षेत्र है और बाजार में तेलघानी का जैविक शुद्व तेल की मांग अधिक है। इसकी संभावनाओं को देखते हुए महिला किसानों का समूह गठित करने और जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे कि जैविक सरसों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित किया जा सके तथा शुद्व सरसों तथा अलसी के तेल का उत्पादन और विपणन किया जायेगा।
- **भोपाल आउटलेट :** महिला किसान उत्पादक कम्पनी के उपज के मार्केटिंग के लिए भोपाल के श्यामला हिल्स में एक आउटलेट खोला जायेगा, जहां से शहद, सरसो तेल सहित अन्य वनोपज और जैविक कृषि उत्पादों का विपणन किया जायेगा।

3. चाइल्ड लाइन

भारत के प्रत्येक बच्चे को स्नेह और पालन पोषण करने वाले परिवार की देखरेख पाने तथा प्रतिष्ठा के साथ रहने एवं अपने परिवार से अलग करने, हिंसा,दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण से संरक्षण पाने का अधिकार है। महिला एंव बाल विकास विभाग ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना में बाल संरक्षण के लिए एक विस्तृत और व्यापक रूपरेखा तथा बच्चो के लिए सशक्त संरक्षात्मक परिवेश के सृजन हेतु एक नींव स्थापित करने की संकल्पना की है।

चाइल्ड लाइन के माध्यम से आपातकालीन पहुंच सेवा :

चाइल्ड लाइन देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चो के लिए एक 24घंटे 7 सातो दिन आपातकालीन राष्ट्रीय फोन/पहुंच सेवा हैं जो उन्हें आपतकालीन और दीर्घ कालीन देखरेख तथा पुनर्वास सेवाओ से जोड़ती है। कठिन परिस्थिति मे रहने वाला कोई भी बच्चा या उसकी ओर से कोई वयस्क इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुंच सकता है। भारत सरकार द्वारा 1999 मे इस सेवा को स्थापित किया गया था और वर्तमान मे यह देश के 281 शहरो तथा मध्य प्रदेश के 27 शहरों मे संचालित है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन नोडल संस्था है जिसके माध्यम से देश के समस्त चाईल्ड लाइन का संचालन किया जाता है।

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में महात्मा गांधी सेवा आश्रम चाइल्ड लाइन परियोजना चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन और महिला एंव बाल विकास विभाग की मदद से संचालित कर रही है।

परियोजना का दृष्टिकोण :

''एक बाल हितैषी राष्ट्र जो सभी बच्चो के अधिकार और संरक्षण की गारंटी देता हो। ''

परियोजना का उद्देश्य :

चाइल्ड लाइन 0–18 वर्ष के बालक/बालिकाओं के देखरेख व संरक्षण हेतु कार्यरत निःशुल्क आपातकालीन दूरभाष तथा आउटरीच सेवा है। जिसके अंतर्गत आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन सेवा भी प्रदान की जाती है। चाइल्ड लाइन 1098 पर कोई भी बालक अथवा संबंधित व्यस्क 24 घंटे (दिन या रात) कभी भी संपर्क कर सकता है। बालक/बालिकाओं के लिए सुरक्षित नेटवर्क का निर्माण कर सहज पहुॅच बनाना चाइल्ड लाइन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी कई उद्देश्य है जो निम्न प्रकार है–

- प्रत्येक 0 से 18 वर्ष के जरूरतमंद बच्चो की मदद करना।
- यदि कोई बच्चा बीमार हो, अकेला हो तो उसकी सहायता करना।
- किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत हो तो उसकी सहायता करना।
- कोई बच्चा छोड़ दिया गया हो या गुम हो गया हो तो उसकी सहायता करना।
- किसी बच्चे का शोषण हो रहा हो तो उसकी सहायता करना।

- 14 वर्ष से आधिक उम्र के बच्चो से काम लेकर मजदूरी नहीं दी गई हो तो उसकी सहायता करना।
- रास्ते पर किसी बच्चे का उत्पीड़न हो रहा हो तो उसकी सहायता करना।

परियोजना की गतिविधियां और कार्य :

- राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर 1098 पर आने वाली कॉलो का उत्तर देना और देखभाल तथा सरंक्षण की दृष्टि से जरूरतमंद बच्चों के लिए बचाव और आपातकालीन सेवा का प्रावधान करना।
- 60 मिनट के अंदर बच्चें की मदद के लिये पहुंच बनाना।
- सम्बद्व स्थानीय विभाग जैसे पुलिस, प्रशासन, श्रम, स्वास्थ्य रेलवे आदि की सहायता से बचाव तथा अन्य आउटरीच सेवाओ का समन्वय करना।
- देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के समक्ष पेश करना।
- चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 के बारे मे जागरूकता करना।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए शहर का मानचित्रण करना, जहां असुरक्षित बच्चे मिलते हैं।
- दैनिक आधार पर हस्तक्षेप तथा मामलों का अनुश्रवण करना।
- दैनिक आधार पर समुदाय मे आउटरीच तथा जन जागरूकता कार्य करना।

परियोजना के अंतर्गत किये गये कार्य :

- टीम सदस्यों द्वारा कुल 1454 फोन टेस्टिंग की गई। सबसे कम फोन टेस्टिंग के मामले मई और सितम्बर माह में हुए और सबसे अधिक क्रमशः अगस्त, अप्रैल, नवम्बर और अक्टूबर माह में किये गये।
- चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बच्चों और व्यस्कों के साथ आउटरीच की संख्या 1030 है। जिसमे व्यक्तिगत आउटरीच की संख्या– 910, छोटा समूह आउटरीच की संख्या– 69, समूह आउटरीच की संख्या– 22 तथा रात्रिकालीन आउटरीच की संख्या– 29 रही।
- श्योपुर जिले के विभिन्न गांवो के आदिवासी बस्तियों, स्कूलों, छात्रावासों, पी.जी.कालेज, धार्मिक स्थल व शहर के सर्वजनिक स्थानों पर खेलकूद, प्रदर्शनी, हस्ताक्षर–अभियान, रैली, बाल फिल्म, पेन्टिंग व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, सम्मेलन तथा सेमीनार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर आयोजित की गयी। जिसमें चाइल्ड लाइन 1098, बच्चो के अधिकारों, उनकी सुरक्षा, बाल योन शोषण, अच्छे–बुरे स्पर्श, बाल विवाह, बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति व योजनाओ के बारे मे जानकारी देकर व्यापक जनजागरण किया गया। इसके अंतर्गत कुल 18 कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह के अंतर्गत 14 नवम्बर से 21 नवम्बर के बीच सघन रूप से प्रत्येक दिन श्योपुर नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न हितधारकों की भागीदारी से बाल अधिकार से जुड़े मामलों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- सम्बद्व स्थानीय विभाग जैसे पुलिस, प्रशासन, श्रम, स्वास्थ्य रेलवे आदि की सहायता से बचाव तथा अन्य आउटरीच सेवाओ का समन्वय करना।

दिनांक	स्थान	संक्षिप्त विवरण
07.04.2017	मेवाती मोहल्ला	बाल अधिकार व चाइल्डलाइन
17.04.2017	नन्दापुर	आदिवासी समाज व चाइल्डलाइन 1098 नम्बर
07.05.2017	ज्वालापुर, खुर्द, श्योपुर	आदिवासी महिला और चाइल्ड लाइन
19.05.2017	सोंई	बाल विवाह
11.07.2017	बगवाज	बाल मजदूरी और बाल यौन शोषण
05.09.2017	दलारना	आदिवासी समुदाय और बाल यौन शोषण
04.10.2017	गुरूनावदा	चाइल्ड लाइन से मदद
03.10.2017	जैदा	लापता बच्चों की सहायता
07.12.2017	कलारना	चाइल्ड लाइन और पुलिस से मदद

परियोजना का प्रभाव और परिणाम :

- बाल अधिकार से जुड़े 332 मामलों जिसमें मेडीकल –111, स्पोंसरशिप–129, शोषण से सुरक्षा–18, बाल विवाह – 03, बाल भिक्षावृत्ति – 10, शारीरिक व मानसिक शोषण – 05, शेल्टर – 45, गुमशुदा बच्चों के – 21, लापता के कुल – 8 मामलें रजिस्टर हुये। इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निरंतर अनुश्रवण करते हुए निवारण किया गया, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं–
  - ✓ 07 शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बालक व बालिकाओ के विकलांग प्रमाण पत्र बनवाये गये, जिससे विकलांगो से सम्बन्धित जनकल्याणकारी योजनाओ का लाभ अब प्राप्त होने लगा है।
  - ✓ 43 बालिकाओं के माता पिता को लाडली लक्ष्मी योजना बारे मे जानकारी देकर उनकी काउन्सलिंग की गयी और बच्चियों का नाम लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़वाया गया। इस योजना के अनुसार बालिका को कुल 1,18,000 रूपये की राशि मिलेगी। जिसमे बालिका के कक्षा –06 मे प्रवेश करने पर – 2000 रूपये, कक्षा– 09 मे प्रवेश करने पर– 4000 रूपये, कक्षा–11 मे प्रवेश करने पर 6000 रूपये, कक्षा– 12 मे प्रवेश करने पर– 6000 रूपये एवं 18 वर्ष से पूर्व विवाह न करने व 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर– 1,00,000 रूपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है।
  - ✓ 22 बालक व बालिकाओ जिनके माता–पिता बच्चों को स्कूल मे भर्ती नही कराये थे, उनकी काउन्सलिंग करके स्कूल को स्कूल मे भर्ती करवाया गया।
  - ✓ 43 बच्चों व उनके माता पिता की काउन्सलिंग करके डॉक्टर व ए.एन.एम. से जांच करवाकर बच्चो का टीकाकरण करवाया गया।

- ✓ 34 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चें जिनके माता पिता बच्चो को एन.आर.सी. मे भर्ती नही करा रहे थे। उन बच्चो के माता पिता की काउन्सलिंग करके बच्चों को जिला अस्पताल के एन.आर.सी. मे भर्ती करवाया गया व भर्ती के दौरान समय–समय पर पहुंचकर कर बच्चो के स्वास्थ्य की जानकरी ली गयी। जिससे बच्चों के स्वस्थ्य मे सुधार हुआ।
- ✓ 07 बच्चो जिनकों बुखार, शारीरिक चोट, कुत्ते के काटने इत्यादि स्वास्थ्य से सम्बंधित समस्याएं होने पर टीम सदस्यों द्वारा बच्चों को जिला अस्पताल में जांच करवाकर उनका उपचार करवाया गया।
- ✓ थेलिसीमिया /अन्य बीमारी से पीड़ित 17 बच्चों को रक्त की तुरन्त आवश्यकता होने की स्थिति मे चाइल्ड लाइन टीम सदस्यों द्वारा रक्तदान करने वाले लोगो व स्वयं टीम सदस्य द्वारा रक्तदान देकर अविलम्ब रक्त उपलब्ध कराया गया जिससे बच्चों के स्वस्थ्य मे सुधार हुआ।
- ✓ 45 अनाथ बच्चें जिनके माता पिता की मृत्यु हो गयी है और जिनके रिश्तेदार/ दादा–दादी की आर्थिक व शारीरिक स्थिति कमजोर होने के कारण, बच्चों का पालन पोषण करने मे परेशानी आ रही है। चाइल्डलाइन टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण विभाग एवं बाल कल्याण समिति से सम्पर्क कर फालोअप किया जा रहा है जिससे इन बच्चों को भी लाभ दिलवाया जा सके। इनमें से 04 बच्चों को चाइल्डलाइन टीम द्वारा छात्रावास मे भर्ती करवाकर उनके रहने, खाने व पढने की व्यवस्था करवाई गयी।
- ✓ शारीरिक या मानसिक शोषण से पीड़ित पाँच बच्चों का चाइल्ड लाइन टीम द्वारा पुलिस थाने पहुंचकर दोषियो के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गयी व इस विषय की जानकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण समिति को दी गयी।
- ✓ 07 बच्चों व उनके माता पिता की काउन्सलिंग करके बच्चों का भीख मांगना बन्द करवाया गया। चाइल्डलाइन टीम द्वारा भीख मांगने वाले बच्चो के बारे मे पता कर पुलिस की मदद से चाइल्डलाइन के ऑफिस लाया गया तथा बच्चो की कउन्सलिंग कर भीख मांगने के कारण व उनके परिवार के बारे मे जानकारी लेकर बाल कल्याण समिति को दी गयी।
- ✓ 02 बालकों के बाल विवाह की सूचना सम्बधित विभागों को दी गयी तथा आवश्यक कार्यवाही कर बाल विवाह को रूकवाया गया।
- ✓ 02 बालक/ बालिका जो घर से लापता हुए या भाग गये थे उनके बारे मे पता कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सुरक्षित उनके परिवार तक पहुचाया गया।
- ✓ लापता स्थिति मे मिले 17 बच्चों के परिवार के बारे मे पता कर आवश्यक कार्यवाही कर सुरक्षित उनके परिवार तक पहुचाया गया।

4. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ

मध्यप्रदेश की साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है जबकि देश की साक्षरता दर 75.06 प्रतिशत है। भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफी अंतर है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है वहीं महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46 है। इसी तरह से मध्यप्रदेश में साक्षरता के मामले में पुरूष और महिलाओं में काफी अंतर है जहां पुरूषों की साक्षरता दर 80.5 प्रतिशत है वही महिलाओ का 60 प्रतिशत है। पूरे मध्यप्रदेश में सबसे अधिक कम दर के पाँच जिले क्रमशः अलीराजपुर, झाबुआ, बडवानी, श्योपुर और धार हैं। श्योपुर में पुरूष साक्षरता 70.30 प्रतिशत है जबकि महिलाओं के बीच साक्षरता दर 44.45 प्रतिशत ही है।

गरीबी, बालिकाओं को स्कूल न भेजना, पिछड़ापन, संसाधनों का न होना तथा पढाई में पिछडने के कारण बच्चों का स्कूल छोड़ देना इत्यादि कई ऐसे कारण हैं जिनसे बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है। इन परिस्थितियों में महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा इम्पैक्ट संस्था की मदद से श्योपुर के दो ब्लाक कराहल और बडौदा में विशेषकर आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित तथा वातावरण का निर्माण करने के लिए भारत सरकार के बेटी बचाओं–बेटी पढाओं अभियान के अंतर्गत यह परियोजना संचालित की जा रही है।

परियोजना का लक्ष्य :

स्कूल न जाने वाली निरक्षर 6 से 14 वर्ष के उम्र की बालिकाओं को संगठित और प्रेरित करना तथा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

परियोजना का उद्देश्य :

- सामुदायिक प्रेरणा के माध्यम से स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच बनाना और उनका नामांकन कराना।
- इम्पैक्ट अध्ययन केन्द्र के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रांसगिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक बालिका को स्वतंत्र विचारक और स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहित करना और समर्थवान बनाना।
- सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाना।
- समुदाय परिवर्तन में मदद करना।

सारणी क्रमांक–4 बेटी बचाओ–बेटी पढाओं केन्द्र की जानकारी

क्रं.	परियोजना केन्द्र का नाम	अध्ययन केन्द्र	पर्यवेक्षक	शिक्षक	बालिका	गाँव	पंचायत
1.	बेटी पढाओं केन्द्र, कराहल	40	03	40	1200	31	19
2.	बालिका शिक्षा कार्यक्रम बडौदा	44	03	44	900	41	31
	कुल	**84**	**06**	**84**	**2100**	**72**	**50**

परियोजना की प्रमुख गतिविधियां और परिणाम :

- **केन्द्र पर नियमित कक्षायें :** श्योपुर जिले के 84 केन्द्रो पर प्रातः 7 बजे से 11 बजे के बीच नियमित कक्षाओं का संचालन किया जाता है। इन केन्द्रो पर लगभग 2200 बालिकायें आकर शिक्षा ग्रहण करती हैं। बालिकाओं को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा उनकी क्षमता पर निर्भर करती है, उनकी क्षमता के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है और प्रगति की देखरेख की जाती है। प्रत्येक तीन महीने पर टेस्ट लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उनकी आयू और विकसित क्षमता के आधार पर उनका नियमित पढाई के लिए नामांकन प्राथमिक विद्यालयों अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराया जाता है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण :** 5 बैच के माध्यम से 50 शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रत्येक तीन महीने में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को शिक्षण माड्यूल विकसित किया गया। इसमें सरल और प्रभावी तरीके से हिन्दी, गणित तथा अंग्रेजी के शिक्षण करने के तरीके को सिखाया गया। निरंतर शिक्षण गुण विकसित करने के तरीकों को भी बताया गया। प्रशिक्षण में शिक्षक, पर्यवेक्षक, कार्यक्रम समन्वयक, निदेशक सहित संस्था प्रमुख ने भागीदारी की। इससे शिक्षकों का शिक्षण कार्य में आत्मविश्वास बढ़ा, शिक्षकों के बीच में परस्पर सहयोग की भावना विकसित हुई तथा गणित के मूलभूत जानकारी को सीखा व समझा।

- 196 सामुदायिक बैठकें आयोजित की गयी बालिकाओं के अभिभावक, सामुदायिक मुखिया, अध्यापक, पर्यवेक्षक, सरपंच, वार्ड मेम्बर और सचिव ने भाग लिया। इससे अभिभावकों में जागरूकता आयी और विभिन्न हितधारकों को अपनी जवाबदेही का ज्ञान हुआ।

- अलग–अलग समयों पर शिक्षक, पर्यवेक्षक, परियोजना समन्वयक और निदेशक की भागीदारी परियोजना को लेकर 76 बैठकें आयोजित की गयी, जिसमें परियोजना के प्रभावी संचालन, देखरेख और निरंतर प्रगति की समीक्षा की गयी।

- 14 नवम्बर 2017 को सभी केन्द्रों पर बालिकाओं, समुदाय और अभिभावकों के साथ बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख रूप से सरपंच, सचिव तथा वार्ड मेम्बर सहित 2200 लोगों ने भागीदारी की। कार्यक्रम में गीत–संगीत, नृत्य, खेलकूद, विचार गोष्ठी, प्रश्नोत्तर की गतिविधियों को शामिल किया गया।

- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय दिवसों तथा पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतराष्ट्रीय महिला दिवस तथा मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस आयोजन में लगभग 8 हजार लोगों ने भाग लिये।

- बडौदा के 40 केन्द्रों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक एकजुटता और शराब बंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

- प्रत्येक केन्द्रों पर प्रतिमाह अकादमिक बैठक का अयोजन किया गया जिसमें बालिकाओं के प्रदर्शन की समीक्षा की गयी। इस बैठक में शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार प्रगति की भी समीक्षा की जाती है।

5. खादी व ग्रामोद्योग

खादी वस्त्र नहीं विचार :

राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक विचारों और प्रेरणा का प्रतीक खादी को बढ़ावा देना सन् 1920 में प्रारंभ किया। चरखा के महत्व व उपयोगिता के बारे में उन्होनें लोगों को बताया। गरीबी और गुलामी के खिलाफ चरखा एक हथियार के रूप में अपनाने के लिये बताया। खादी को स्वंय का रोजगार अपनाकर गर्व के साथ रहने के लिये रास्ता दिखाया। मानव जाति की बुनियादी जरुरतों में से एक को पूरा करने के मजबूत ईरादों के साथ खादी पहनने के लिये अपील भी की।

खादी और स्वावलम्बन :

भारतीयों को खादी से एक भावनात्मक लगाव है। यह महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। खादी के प्रथम डिजाईनर महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को खादी वस्त्र पहनने के लिये अपील की। भारत की एकता को साबित करने व आत्मनिर्भर बनाने के लिये खादी ही बहुत महत्वपूर्ण रहा। खादी आजादी के संग्राम के समय हर भारतीय का पहचान का चेहरा था। खादी और ग्रामोद्योग का आंदोलन विदेशी माल का बहिष्कार और भारतीय बस्तुओं को बढ़ावा देने के लिये किया गया जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता में खादी का महत्वपूर्ण योगदान है। खादी के सामाग्री से ही भारत का झण्डा, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण होता है।

खादी और पर्यावरण :

वर्तमान समय में खादी को अंतराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्व फैशन डिजाईनर भी एक ब्राण्ड के रूप में अपनाने लगे हैं। वर्तमान में यह इतना लोकप्रिय हो गया है कि कपड़े विशेष अवसरों पर सभी लोग इसे कपडे के रुप में अपनाने लगे हैं। दुनिया भर के डिजाईनरों द्वारा खादी का डिजाईन किया जा रहा है। यह कई रंगो में डिजाईन किया जा रहा है। खादी के सारे रंग त्वचा के लिये अनुकूल है। खादी का उत्पादन पर्यावरण को नुकसान नही पहुचाता है और यह आसानी से पसीना सोखता है तथा पहनने में ठंडा और शुष्क रहता है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में खादी की बुनाई और धागे की कताई का काम होता है। पूर्व में यह ग्रामीण, श्रमिको और किसानों के लिये कपडे के रुप में होता था लेकिन अब खादी कपडे को उच्च वर्ग के लोग भी पसन्द कर रहे हैं। भारत में अब यह सबसे सुंदर कपडे के रुप में स्थापित हो चुका है। महगांई के कारण यह विलासिता और विशिष्ट्ता का प्रतीक बन गया है।

रोजगार की उपलब्धता :

खादी के व्यापक प्रचार प्रसार और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम

में खादी का उत्पादन और विपणन का कार्य विगत 37 वर्षो से हो रहा है। पहले दरी–फर्श का उत्पादन और विपणन आश्रम प्रांगण में ज्यादा होता था, विगत कुछ वर्षों में यह कम हुआ है जिसका प्रमुख कारण बाजार में मोटी खादी की मांग का कम होना है। अब मोटी खादी को ज्यादा लोग पसंद नही करते, इसलिये आश्रम में भी मोटी खादी का उत्पादन कम किया जाता है। बाजार की मांग के अनुसार साफी, सफेद शर्टिंग और कम्बल का उत्पादन हो रहा है। आधुनिक मांग के अनुसार सूती, उनी, पोली जाकेट, शर्ट, कुर्ता–पाजामा रेडिमेड तैयार कर भण्डारों के द्वारा बेचा जा रहा है। इस वर्ष आश्रम द्वारा उत्पादित साफी और जाकेट की बिक्री बहुत अच्छी हुई। के.वी.आई.सी. द्वारा आबंटित खादी उत्पादन का लक्ष्य संस्था ने पूरा किया है। वर्ष 2017–18 में खादी उत्पादन और बिक्री पिछले वर्षो के तुलना में इस प्रकार हुई–

सारणी क्रमांक–5–..... खादी उत्पादन की उपलब्धियां (रूपयों में)

खादी किस्म \ वित्तिय वर्ष	2015–2016	2016–2017	2017–2018
सूती खादी	22.30	19.51	20.75
उनी खादी	6.65	7.19	7.65
पोली खादी	9.38	9.68	9.15
कुल	**38.33**	**36.33**	**37.55**

सारणी क्रमांक–6..... खादी बिक्री (रूपयो में)

खादी किस्म \ वित्तिय वर्ष	2015–2016	2016–2017	2017–2018
सूती खादी	27.05	23.85	24.62
उनी खादी	11.23	11.07	14.57
रेशम खादी	6.57	3.71	3.68
पॉली वस्त्र	31.45	25.17	25.11
ग्रामोद्योग	3.35	3.24	6.08
कुल	**79.65**	**67.04**	**74.06**

सारणी क्रमांक–7 केन्द्रवार खादी बिक्री–

विवरण	मुरैना खादी भण्डार	ग्वालियर खादी भण्डार	श्योपुर खादी भण्डार	खादी मंदिर जौरा	योग
सूती खादी	15.87	6.40	0.50	1.85	24.62
उनी खादी	10.96	1.49	0.72	1.40	14.57
रेशम खादी	2.83	0.60	0.0	0.25	3.68
पॉली वस्त्र	15.54	6.49	1.13	1.95	25.11
ग्रामोद्योग	3.93	1.86	0.10	0.19	6.08
कुल	49.13	16.84	2.45	5.64	74.06

गत वर्ष कि तुलना में इस वर्ष खादी की बिक्री में वृद्वि हुई है। बिक्री बढ़ने की वजह से रोजागार में वृद्वि की सम्भावना बढ़ गई है। संस्था के खादी ग्रामाद्योग कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता लगे हुए जिसमें वंचित समुदाय के 45 फीसदी कार्यकर्ता हैं।

6. चम्बल शहद

शहद की प्राचीनता :

प्राचीन काल से ही मनुष्य को मधुमक्खी तथा मधु की जानकारी थी। जीव वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी पर मधुमक्खी का प्रादुर्भाव मनुष्य से कई लाख वर्ष पूर्व हुआ था। प्राचीन काल से ही मानव जाति को इन छोटे कीटों द्वारा उत्पन्न किये मीठे तथा स्वादिष्ट पदार्थ मधु के बारे में जानकारी थी। वह मधुमक्खी के छत्तों को काट कर अपने खाने के लिये शहद प्राप्त करता था। लेकिन उस समय मधुमक्खी–पालन की कला उसे मालुम नहीं थी। प्राचीन काल में भारत में भी मधुमक्खी पालन किसी न किसी रुप में किया जाता था, रामचरित मानस व दुर्गा–शप्तशती में भी मधु–वाटिका का उल्लेख मिलता है। संस्कृत भाषा में शहद के लिये मधु शब्द प्रयोग में लाया जाता था, जिसका उल्लेख 3000–4000 वर्ष ईसा पूर्व लिखे गये वेद तथा उपनिषदों में मिलता है। स्पेन की कंदराओं मे भी मधु इकट्ठा करने का चित्र मिलता है, ये चित्र 7000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं।

शहद का प्रचार प्रसार :

मानव सभ्यता का विकास होता गया और मानव अनेक क्षेत्रों में वैज्ञानिक खोजों से आगे बढता गया। इसी दौरान पाया कि मधुमक्खी के शहद के अतिरिक्त अन्य उत्पाद (जैसे प्राकृतिक मोंम ,पराग, प्रोपोलिस, रायल जेली ,डंक विष,) भी हैं, जो मनुष्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हैं। मधुमक्खी के पर परागण से अनेक फसलों एवं फलों के उत्पादन में वृद्धि भी होती हैं। अमेरिका एवं अनेक यूरोपीय देशों में इस क्षेत्र में अनेक अनुसंधान एवं प्रयोग किये गये, साहित्य तैयार किया गया और मधुमक्खियों को पालने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

चम्बल शहद का उत्पादन :

महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के द्वारा सन् 1999 से मधुमक्खी पालन एवं जंगली शहद निष्कासन का प्रशिक्षण दे रहा है। शहद निष्कासन का प्रशिक्षण "केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवम प्रशिक्षण संस्थान (खादी एवम ग्रामोधोग आयोग) पुणे" के सहयोग से दिया गया। प्रशिक्षण वैज्ञानिक विधि से शहद निष्कासन का दिया जाता है जिससे मधुवंश और शहद के गुणवता पर प्रभाव न पड़े । आश्रम द्वारा 345 शहद संग्रहण करने वाले (honey hunter) और 210 मधुमक्खी पालक को प्रशिक्षित किया गया है। संस्था की मुख्य भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन, उत्पादित माल की बिक्री में सहायता प्रदान करना है।

बेहतर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

मधुमक्खी पालन उद्योग एक ग्रामोद्योग कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन का सशक्त माध्यम तथा ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मधुमक्खी पालन

स्वरोजगार का एक अच्छा साधन सिद्व हो रहा है तथा वर्तमान में अरबो डालर का अंतराष्ट्रीय बाजार में इसका विपणन होता है। यह व्यवसाय मध्यप्रदेश में काफी लोकप्रिय हो रहा है। मध्यप्रदेश के चम्बल क्षेत्र के मुरैना, भिण्ड, श्योपुर तथा ग्वालियर जिले में यह व्यवसाय रोजगार के क्षेत्र में भरपूर संभानाओं वाला क्षेत्र है। देश के अधिकांश भू–भाग फसलों, सब्जियों, फलोद्यानों, जडी–बूटियों, वनों, फूलों, एवं औषधिय पौधों से आच्छादित हैं। जो प्रतिवर्ष फल व बीज के साथ ही साथ पुष्प रस और पराग को धारण करते हैं किंतु उसका भरपूर सदुपयोग नही हो पाता है बल्कि इस बहूमुल्य उपज के अंश का दोहन न किये जाने से धूप, बर्षा एवं ओलों के कारणवश प्रकृति में पुनः विलीन हो जाता है। प्रकृति के इस अनमोल उपहार को मधुमक्खियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

कार्य का प्रभाव और परिणाम :

- संस्था द्वारा वर्ष 1999 से मधुमक्खी व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।
- संस्था द्वारा चम्बल क्षेत्र के फसल चक्र का कैलेंडर तैयार किया गया है। जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।
- चम्बल क्षेत्र के अलावा गर्मी के दिनों में जब यहां सूखे की स्थिति होती है, वैसी परिस्थिति में मधुमक्खियों को बचाने और उनसे शहद का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों के पलायन के लिए भी कैलेण्डर तैयार किया गया है।
- संस्था द्वारा 345 शहद शंग्रहण करनेवाले 'हनी हंटर' और 210 मधुमक्खी पालक 'बी–कीपर' तथा 250 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है ।
- संस्था के पास प्रशिक्षण के लिये आवश्यक सभी अत्याधुनिक साज सामान, संसाधन और ढांचा उपलब्ध है।
- क्षेत्र के सभी मधुमक्खी पालकों व शहद संग्रहण करने वालों के साथ शहद के दर के प्रोत्साहन के लिए भी काम किया जाता है, जिससे कि उनका शोषण मध्यमवर्ग से जुड़े दलाल व व्यापारी न कर सकें।
- संस्था द्वारा मधुमक्खी पालको व शहद संग्रहण करने वाले से शहद का संग्रहण व भण्डारण किया जाता है।
- शहद का वैज्ञानिक विधि से प्रशोधन किया जाता है ।
- शहद प्रशोधन के बाद शुद्वता के लिये एगमार्क और एफएसएसएआई जांच कराया जाता है।
- संस्था द्वारा 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, और 200 ग्राम के बोतल में शहद पैक किया जाता है।
- संस्था द्वारा पैक शहद और खुला शहद का विपणन किया जाता है।

परिणाम एवं सफलतायें :

- शहद केंद्र की स्थापना से पूर्व शहद संग्रहणकर्ता को एक माह में एक हजार से डेढ हजार रुपये की आमदनी होती थी, वर्तमान में 5500 से 6500 रूपये की आमदनी हो जाती है।
- पूर्व में इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के बारे में कोई नही जानता था। मधुमक्खी पालन के लिए इस क्षेत्र में 210 लोगों को प्रशिक्षण देने के परिणाम स्वरूप आज 42 मधुमक्खी पालक सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं।
- मधुमक्खी पालकों की वार्षिक आमदनी लगभग डेढ लाख से दो लाख रुपये तक कृषि आय के अतिरिक्त है।
- अप्रशिक्षित शहद संग्रहणकर्ता पारम्परिक तरीके से मधुमक्खियों के छत्ते को जलाकर शहद निकालते थे जिससे मधुमक्खियों के वंश खत्म होने का खतरा होता था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था। वैज्ञानिक विधि से शहद निकालने पर पर्यावरण के साथ न्याय होता है।
- शहद की गुणवता में बहुत ज्यादा वृद्वि हुई है।
- शहद संग्रहणकर्ता और मधुमक्खी पालको के आर्थिक व सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई।

विस्तार की सम्भावनायें :

चम्बल क्षेत्र में मधुमक्खी पालन व्यवसाय की अपार सम्भावनायें हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से चम्बल क्षेत्र मधुमक्खी पालन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का फसल चक्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहां वर्ष भर में 10 माह मधुमक्खी को पराग और मकरंद (नेक्टर) मिलता है, इसलिये यहां मधुमक्खी की चार प्रजातिया पहला भवर मधुमक्खी 'एपिस डोरसेटा' दूसरा सिरेना 'एपिस सिरेना इण्डिका' तीसरा मेलिफेरा एपिस मेलिफेरा और चौथा चेन 'एपिस फलोरिया' एक साथ पायी जाती हैं। इसमे पालतू मधुमक्खी केवल सिरेना व मेलिफेरा है.। यहां के कृषि में सरसो का फसल मुख्य है, सरसो के फूल मे पराग 'पोलेन' और मकरंद 'नेक्टर' दोनों ही पाया जाता है जो शहद निर्माण के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं। चार माह सरसों के फूल से ही शहद का उत्पादन किया जा सकता है बाकी के 6 माह सहायक फसल जैसे बर्सिम, बाजरा तिली, जंगली फूल, खैर ,बबूल, शीशम, तथा सब्जी से शहद उत्पादन किया जा सकता है ।

7. महिलाओं के लिये सुनिश्चित आजीविका

यह परियोजना चेंज एलायंस के पी.पी.ए. (प्रोग्राम पार्टनरशिप एरैंजमेंट) योजना के तहत संचालित है। इस परियोजना के सभी लाभार्थी दलित समुदाय से हैं। इस परियोजना में मुरैना जिले के जौरा तहसील से दो गॉव शामिल किया गया है पहला सांकरा और दूसरा रुनीपुर। दोनो गॉव में दलित समुदाय के लोग रहते हैं। जो आस–पास के गावों मे मजदुरी का काम करते हैं। यहां के दलित समुदाय के सामाजिक व आर्थिक जीवन अच्छा नही है। इस समुदाय के लोगों का आजीविका का मुख्य साधन मजदूरी है।

प्रत्येक गांव मे 30 महिलाओं का प्रशिक्षण समूह बना कर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है साथ ही साथ प्रत्येक प्रशिक्षण समुह का पंद्रह–पंद्रह के समुह में बांट कर स्व सहायता समुह का गठन किया गया है। इस तरह रुनीपुर में 6 व सांकरा में 4 स्व सहायता समुह का गठन किया गया है।

मधुमक्खी पालन का महत्व :

मधुमक्खी पालन कृषि पर आधारित एक उत्तम व्यवसाय है जिससे किसान अपनी आय बढा सकते है या लोग इसे व्यवसायिक स्तर पर भी अपना सकते हैं। मधुमक्खी पालन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आय का स्त्रोत है। निम्न बिंदुओं के व्याख्या से मधुमक्खी पालन का महत्व समझा जा सकता है –

- **कम लागत का धंधा :** इस व्यवसाय में बहुत कम लागत लगाना पड़ता है। कुल लागत लगभग एक वर्ष में ही वापस हो जाता है। एक वर्ष के बाद केवल मधुमक्खी पालक की मेहनत व बहुत ही कम लागत से काफी लाभ लिया जा सकता है ।
- **एकीकृत कृषि में मधुमक्खी पालन :** गावों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। दलित समुदाय के पास खेत एक एकड़ से भी कम है। 82 फीसदी जोत इतने छोटे है कि उनमें वाणिज्य कृषि नही अपनाई जा सकती है तथा ऐसे किसानों के एकीकृत कृषि अपनाने के अतिरिक्त कोई चारा नही है। एकीकृत खेती में मधुमक्खी पालन का महत्वपूर्ण स्थान है तथा छोटे किसानों की आय बढाने का उत्तम व्यवसाय है।
- **रोजगार देने वाला व्यवसाय :** मधुमक्खी पालन से रोजगार की बहुत सम्भावानाये हैं। औसतन एक आदमी 100 मधुमक्खी बक्सों का देख भाल कर सकता है। बहुत से लोग मधुमक्खी पालन के जो आवश्यक उपकरण के व्यवसाय में लगे हैं। मधुमक्खी पालन से दुसरे व्यवसाय के लोग भी लाभांवित होते हैं जैसे–बढई, लोहार ,दर्जी इत्यादि।
- **पलायन व छिपी हुई बेरोजगारी :** गांव में सीमांत किसान को पूरे वर्ष व पूरा दिन खेती का काम नही होता है और वे काफी समय बेकार रहते हैं या गांव पलायन कर बड़े शहरो में रोजगार ढूढंते हैं। ऐसे समय में मधुमक्खी पालन कर सकते हैं ।
- **मधुमक्खी पालन और महिलाएं :** मधु मक्खीपालन महिलाओं के लिये उपयुक्त धंधा है। इसमें ज्यादा

शारीरिक श्रम नही करना पड़ता है। इससे महिलाओं में आर्थिक निर्भरता आ सकती है।

- **समाज सेवा :** गाँव मे रखी गई मधुमक्खियां पर–परागण से फसलों की उपज बढाने में योगदान देती है। जिससे किसानों को भारी मात्रा में लाभ होता है। इसलिये कहा जाता है कि मधुमक्खी पालन से समाज सेवा भी होती है।

शहद संग्रहण प्रशोधन एवं विपणन :

वर्ष 2017–18 संस्था ने क्षेत्र के सभी मधुमक्खीपालकों से विभिन्न प्रकार के शहद का संग्रहण किया गया। जिसका प्रशोधन और बॉटलिंग कर शहद का विपणन किया गया। इस वर्ष रोजगार संख्या में भी वृद्वि हुई। इस वर्ष कार्य को नीचे दिये गये तालिका से जाना जा सकता है ।

सारणी क्रमांक–8 शहद संग्रहण और बिक्री तथा उपलब्ध रोजगार

संग्रहण और खरीद	बिक्री	रोजगार संख्या
1603854.00	2785070.00	241

व्यावसायिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुरैना जिला एन.एच.–3 आगरा–मुम्बई रोड व मेन रेलवे लाईन से जूड़ा हुआ है। आवागमन की सुविधा के कारण उच्चगुणवत्ता के शहद उत्पादन क्षेत्र होने के नाते यहां बाहर के व्यापारी शहद खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं।

मुरैना जिले में शहद उत्पादन व विपणन की बहुत सम्भावानायें हैं। मुरैना जिले के 70 फीसदी आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन व्यवसाय एक साथ किया जा रहा।

8. वर्मी कम्पोस्ट-केंचुआ खाद उत्पादन ईकाई

केंचुआ का जीवन कार्य विभिन्न प्रकार से हमारे आर्थिक उपयोगों में संभव है। विश्व प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने केंचुओं के उपयोग का सर्वप्रथम प्रायोगिक वैज्ञानिक स्तर पर उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था कि केंचुए एक तरह से पृथ्वी की आंतों का कार्य करते हैं। यह मृदा को हयूमस अथवा पोषक तत्वों से परिपूर्ण सतह बनाते हैं जिस पर हम अपने खाद्यान्न व पौधे उगाते हैं। इस सतह को प्राकृतिक अवस्था से बनाने में कई सौ वर्ष लगते हैं परन्तु केंचुएँ इसे शीघ्रता से बना देते हैं। यह अद्‌भुत जीव जैव अपघटनशील कार्बनिक व्यर्थ पदार्थों को अत्याधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी पदार्थों (कम्पोस्ट) में सरलता से परिवर्तित कर देते हैं। इसे अनेक विशेषज्ञ उपयोगितानुसार 'काला सोना' अर्थात ब्लैक गोल्ड के नाम से भी संबोधित करते हैं।

केंचुओं के प्रयोग द्वारा कार्बनिक कुड़े–करकट से खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कम्पोस्टिंग कहते हैं तथा इससे बनने वाली खाद को वर्मीकम्पोस्ट कहते हैं। इस खाद में केंचुओं का मल, कोकून और अपचित भोजन होता है। यह पदार्थ विटामिन्स, जीवप्रतिरक्षा और एंजाइम्स जैसे प्रोटिनेज, एमाइलेज, लाइपेज, सेल्युलोज, काइटिनेज आदि से परिपूर्ण होते हैं। केंचुओं से कास्ट के रूप में बाहर आने के बाद ये एन्जाइम कार्बनिक पदार्थों का निरंतर विघटन करते रहते हैं। हालांकि वर्मीकास्ट और वर्मीकम्पोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा मानक रासायनिक खादों की तुलना से बहुत कम होती है परन्तु परम्परागत खादों से अधिक होती है। केंचुआ पालन तकनीक में आधुनिकता आने से कई नवीन उत्पादों का निर्माण हुआ है जैसे कि वर्मीवाश। कई जगहों पर किसान एक लीटर वर्मीवाश को 15 लीटर पानी में डालकर सब्जियों एवं फल वाले वृक्षों पर छिड़काव करते हैं जिससे सब्जियों एवं फलों की पैदावार बढ़ जाती है।

केंचुआ खाद का पोषक महत्व :

केंचुआ अपने शरीर के भार के बराबर कार्बनिक पदार्थ खाता है और दिनभर में जितना खाता है उसका 50 प्रतिशत खाद के रूप में बदल देता है। केंचुओं की कास्टिंग के रासायनिक एवं जैविक गुणों का विश्लेषण किया गया है इसमें नमी 46.5 प्रतिशत और उसका पी–एच सामान्य होता है। केंचुआ खाद में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रतिशत परम्परागत खाद से कहीं अधिक तथा कुछ पोषक तत्व लगभग दो गुने होते हैं।

केंचुआ खाद व गोबर खाद का तुलनात्मक विवरण :

वर्मीकास्ट :

केंचुओं की आंतों से गुजरकर भोजन एक ठोस, सान्द्र खंड के रूप में बाहर आता है जिसे वर्मीकास्ट कहते हैं। वर्मीकास्ट में सूक्ष्म जीवाणुओं, कार्बनिक तत्वों एवं अकार्बनिक खनिजों की मात्रा अधक होती है और इस

रूप में यह पौधों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। केंचुओं से कास्ट के रूप में बाहर आने के बाद यह एंजाइम्स कार्बनिक पदार्थों का निरंतर विघटन करते रहते हैं।

केंचुओं का सामान्य जीवन चक्र :

ऐसा माना जाता है कि सामान्य केंचुओं की आयु 3 से 10 वर्ष तक होती है। सामान्यतः 2 से 3 माह की उम्र के केंचुए वयस्क हो जाते हैं। इनके 14 से 16 वें खंड लाल रंग के फूले हुए दिखाई देने लगते हैं तब केंचुआ प्रौढ़ हो जाता है एवं प्रजनन हेतु तैयार हो जाता है। ये वयस्क केंचुए 6–7 दिनों में भूरे रंग के कोकून देते हैं इनमें 2 से 20 अंडे होते हैं जो कि 14 से 21 दिनों में फूट जाते हैं एवं नवजात शिशु केंचुए निकलते हैं। आठ से दस महीनों का केंचुआ 15 से 20 सेमी. लंबा पेंसिल से कम मोटा होता है। इनके वृद्वि के लिए नम वातावरण एवं उचित भोजन मिलना आवश्यक होता है।

केंचुआ उत्पादन प्रक्रिया के मुख्य चरण :

निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा केंचुआ उत्पादन की प्रक्रिया पूरी की जाती है–

स्थान का चुनाव :

- गड्डा या ढेर, पेड़ों की छाया या जानवरों के रहने के स्थान के समीप (जहां सामान्य एवं अनुकूल तापमान बना रहे तथा वर्षा से बचा रहे) बनाना चाहिए।
- आसपास पानी का स्त्रोत होना आवश्यक है।

आवश्यक सामग्री :

1. कृषि या फसल अवशेषः–पुआल, भूसा, गन्ने की खोई, पत्तियॉं, खरपतवार, फूस, फसलों के डंठल, बायोगैस अवशेष, गोबर आदि।
2. घरेलू तथा शहरी कूड़ा कचराः–सब्जियों के छिलके तथा अवशेष, फलों के छिलके तथा सब्जी मण्डी का कचरा, भोजन का अवशेष आदि।
3. कृषि उद्योग संबंधी व्यर्थ पदार्थों : वनस्पति तेल शोधन मिल, चीनी मिल, शराब उद्योग, बीज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं नारियल उद्योग के अवशिष्ट पदार्थों।
4. केंचुआ एवं अन्य पदार्थोंः–1000–1200 केचुओं को लगभग 1 किग्रा./क्विंटल अपशिष्ट पदार्थों की दर से आवश्यकता होती है। रॉक फास्फेट (झाबुआ रॉक फास्फेट, 30–32 प्रतिशत फास्फोरस) जब वर्मी कम्पोस्ट को फास्फोरस युक्त बनाना हो।

गड्ढे में केंचुआ और कोकून डालना :

- केंचुआ और उनके कोकून को ढेर की सतह पर डाला जाता है। अर्ध विघटित कार्बनिक पदार्थों के

ऊपर हाथ से छोटी–छोटी नालियॉ बनाकर केंचुओं को उसमें डाल दिया जाता है।

- नालियों को फिर हाथ से ढक दिया जाता है।
- इसी क्रमानुसार कार्बनिक पदार्थों और केंचुओं की सतह बिछाई जाती है। इससे गड्ढे में केंचुओं और कार्बनिक पदार्थों की एकांतर सतह बनती जाती है।
- नमी 50–60 प्रतिशत और तापमान 28–32 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना चाहिए।

गड्ढे में से तैयार वर्मी कम्पोस्ट निकालना :

जब वर्मी कम्पोस्ट बनना बंद जो जाये तब 2–3 दिन तक पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। इसके बाद खाद निकालकर छाया में ढेर लगाकर सुखा लेते हैं। फिर इसे 2 मिमी. छन्ने से छानकर अलग कर लेते हैं। इस तैयार खाद में 20–25 प्रतिशत नमी होनी चाहिए। इस तैयार खाद को आवश्यक मात्रा में प्लास्टिक की थैलियों में भर देते हैं।

वर्मी कम्पोस्ट बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें :

- जिस कचरे से खाद तैयार की जा रही है उसमें कॉच, पत्थर, लोहा या धातु के टुकड़े नहीं होने चाहिये।
- केंचुओं को खाने के लिए आधा अपघटित या आसानी से अपघटित हो सकने वाला कार्बनिक पदार्थों को दिया जाना चाहिए।
- 40 से 45 दिनों बाद पकी हुई खाद निकालना चाहिए। इसके लिए क्यारियों में छोटे–छोटे ढेर बना दें, जिससे केंचुए खाद की निचली सतह पर रह जायें। खाद निकालने का कार्य हाथ से करना चाहिए। गैंती या खुरपी से केंचुए मर सकते हैं।
- क्यारियों को तेज धूप या वर्षा से बचाने के लिए घास–फूस का छप्पर बनाना चाहिए।
- केंचुओं को प्राकृतिक शत्रुओं जैसे चिड़िया, सांप, मेंढक, दीमक चिटियों आदि से बचाने के लिए समय–समय पर क्यारियों के चारों ओर नाली खोद कर उसमें क्विनलाफास या फॉलीडाल डस्ट अथवा नीम की निंबोली का सत् या नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए।

केंचुआ एवं केंचुआ खाद का उपयोग :

मिट्टी की दृष्टि से :

- भमि का जलधारण क्षमता बढ़ती है।
- केंचुए नीचे की मिट्टी ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं।
- केंचुआ खाद में ह्यूमस भरपूर मात्रा में होने से नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश एवं अन्य सूक्ष्म तत्व पौधों

को भरपूर मात्रा में जल्दी उपलब्ध होते हैं।

- केंचुए मृदा की उर्वरता, मृदा संरचना और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को बढ़ाने में सहायक होते हैं।
- ये लाभकारी मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए प्रभावशाली कवच है तथा जमीन के हानिकारक पैथोजन को नष्ट करते हैं और कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को विटामिन्स, एन्जाइम, जीव प्रतिरक्षी, वृद्धि हारमोन्स, प्रोटीन युक्त उत्पादों एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं।
- भूमि में उपयोगी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है।

कृषकों की दृष्टि से लाभ।

- भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है।
- सिंचाई के अंतराल मे वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद निर्भरता कम होने के साथ खेती की लागत में कमी आती है।

पर्यावरण की दृष्टि से :

- भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है।
- मिट्टी, खाद पदार्थों और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है।
- कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी होती है।

कम्पोस्ट खाद उत्पादन इकाई :

महात्मा गांधी सेवा आश्रम, जौरा के प्रांगण में 22–45 फीट भूमि पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई का निर्माण कराया गया है जिसमें 3.5–9.5 फीट का 18 पिट का निर्माण कराया गया है जो 2 फीट गहरा है। पूरे जगह को एंगल और टीन से अच्छादित किया गया है। टेक्नीकल सपोर्ट और डिजाईन मुरैना जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र से लिया गया है। वर्तमान में आइसीया पोइसिडा प्रजाति के केंचुए को कम्पोस्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

प्रदर्शन और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन :

आसपास गाँवों के किसान जौरा आश्रम में आकर रूचि पूर्वक कम्पोस्ट इकाई को समझने लगे हैं। जैविक खाद उत्पादन और महत्व तथा इसके उपयोग के बारे में उनको समझाइस देने के लिए एक प्रशिक्षक की व्यवस्था की गयी है। किसान जैविक खेती और कम्पोस्ट खाद से जुड़े चुनौतियों, समस्याओं और उसके समाधान के लिए अपनी शंकाओं को दूर करते हैं। इस वर्ष लगभग 55000 रूपये की बिक्री हुई है।

9. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, श्योपुर

मध्यप्रदेश सरकार ने 7 अप्रैल 2017 को दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की। दीनदयाल रसोई में सिर्फ 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाता है। इस रसोई को खोलने का मकसद शहरों में दूरदराज के गांवों और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के अलावा गरीबों को कम कीमत पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है। यह योजना प्रदेश के 51 जिलों में से 49 जिलों के मुख्यालयों में शुरू हुई है।

योजना के उद्देश्य :

- गरीब और बेसहारा लोगों को कम दर पर पेटभर खाना देने के लिए दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य 5 रुपये में राज्य के नागरिको को स्वादिष्ट और पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

सहयोगी संगठन की भूमिका तथा कार्य :

योजना की व्यवस्था की निगरानी जिला स्तरीय समन्वयक एवं अनुश्रवण समिति करती है। समिति में शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त अनाज व्यापारी संघ तथा सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। रसोई केन्द्रों के लिए गेहूं एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। पानी तथा बिजली की व्यवस्था नगर निगम द्वारा निःशुल्क की जाती है। केन्द्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना से राशि उपलब्ध होगी। प्रत्येक केन्द्र के लिए स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला गया है।

हफ्ते भर अलग–अलग पोष्टिक भोजन :

हर सप्ताह मे भोजन का प्रतिदिन अलग–अलग मैन्यू (दाल, चावल, रोटी, सब्जी) तय किया गया है। जिसमे संस्था द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि प्रातः 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक आने वाला कोई भी गरीब भूखा व्यक्ति खाली पेट न जाये। उसे भर पेट पौष्टिक भोजन मिले।

दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ :

श्योपुर जिले मे 7 अप्रेल 2017 से प्रारंभ यह रसोई योजना महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित की जा रही है। इसका उद्घाटन श्योपुर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती ललिता यादव ने किया। इस दौरान श्योपुर के विधायक श्री दुर्गालाल विजय, नगरपालिका अध्यक्ष श्री दौलतराम गुप्ता, उपाध्यक्ष नगीना बानो, जिला कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री सकेत पाण्डे, महात्मा गांधी सेवा आश्रम के सचिव डॉ. श्री रानसिंह परमार, मानव अधिकार आयोग के जिला संयोजक श्री कैलाश पाराशर सहित गांधी आश्रम के प्रबंधक जयसिंह जादौन उपस्थित रहे।

दीनदयाल रसोई योजना-कार्यक्रम :

- महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई योजना से जिले तथा अन्य जिलों से आने वाले मजूदर, गरीब बैसहारा लोगो को पेट भर पौष्टिक भोजन मिल रहा है तथा यहा बडी संख्या मे प्रतिदिन गरीब मजदूर भोजन के लिये आते है।
- जिले के नागरिक, समाज सेवी व संस्थाओं को भी दीनदयाल रसोई योजना के माध्यम से मजदूर व बेसहारा लोगो से जुडने, उनकी समस्यओ को समझने तथा उनको जागरूक करने का मौका मिला है।
- **जन्मोत्सव व पुण्यतिथि कार्यक्रम समारोह :** इसके साथ ही शहर के युवाओं व प्रतिष्ठित लोगों मे भी इस योजना के माध्यम से गरीबो व बैसहार लोगो की मदद करने का भाव उत्पन्न हुआ है। कई युवा निःस्वार्थ भाव से इन लोगों को भोजन करवाते हैं तथा कई बच्चों व युवाओं द्वारा इन लोगो के साथ अपना जन्म दिवस व अन्य कार्यक्रम मनाए गये हैं। उदाहरण के लिए जन्म दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत 22 मई 2017 को जिले के कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल द्वारा अपने पुत्र वेदांश का प्रथम जन्म दिवस कार्यक्रम पूरे परिवार के साथ दीनदयाल रसोई योजना श्योपुर मे मनाया गया। इस दौरान उन्होने वहां उपस्थित गरीब व मजदूर वर्गो से उनकी स्थिति के बारे मे बात की व पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन भी किया।

सारणी क्रमांक-9 दीनदयाल रसोई से लाभान्वित

क्रं.	माह	माह में लाभान्वित हितग्राही की संख्या
1.	अप्रैल	7945
2.	मई	10652
3.	जून	11074
4.	जुलाई	9354
5.	अगस्त	7481
6.	सितम्बर	7317
7.	अक्टूबर	6904
8.	नवम्बर	8586
9.	दिसम्बर	8084
10.	जनवरी	9054
11.	फरवरी	12113
	कुल	98564

दीनदयाल रसोई योजना के लिए प्राप्त दानराशि–अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक दानदाताओं से कुल राशि–1256501 रू प्राप्त हुई। जिसमें अप्रैल मे–198000, मई मे–111100, जून मे–176200, जुलाई मे–38700, अगस्त में–241551, सितम्बर मे–46850, अक्टुम्बर मे–176700, नवम्बर मे–37200, दिसम्बर मे–4700, जनवरी मे– 225500 तथा फरवरी मे–0 राशि प्राप्त हुई है।

सारणी क्रमांक–10 दानदाताओं की सूची–विभाग के अनुसार

क्रं.	दानदाता सूची	माह	रकम	कुल योग
1.	राजपत्र अधिकारी	अप्रैल	187700	187700
2.	जिला आबकारी अधिकारी श्योपुर	मई	25000	25000
3.	सी.एम.एच.ओ श्योपुर	मई	50000	84200
4.	सी.एम.एच.ओ श्योपुर	जून	58700	
5.	सी.एम.एच.ओ श्योपुर	अगस्त	20500	
6.	जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर	जून	100000	129200
7.	जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर	अक्टुबर	29200	
8.	गैस सर्विस श्योपुरअगस्त	84000	84000	
9.	पेटोल पम्प श्योपुर	अगस्त	116000	116000
10.	जिला परिवहन अधिकारी श्योपुर	सितम्बर	35100	35100
11.	राजपत्र अधिकारी टी.एल.	अक्टुबर	37500	37500
12.	एस.डी.एम.राजस्व	अक्टुबर	100000	129700
13.	एस.डी.एम.राजस्व	नवम्बर	29700	
14.	खाद्य विभाग श्योपुर	जनवरी	225000	225000
15.	महात्मा गांधी सेवा आश्रम संस्था के प्रयास से		158101	158101
16.	रसीद कूपन से प्राप्त राशी 11 माह		450790	450790
17.	बैंक व्याज		6060	6060
	कुल		1713351	1713351

सारणी क्रमांक–11 अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक प्राप्त खाद्यान्न और उपयोग

क्रं.	माह	माह के आबंटित खाद्यान्न (क्विंटल में)		माह में वास्तविकता उपभोग मासिक खाद्यान्न मात्रा (क्विंटल में)	
		गेंहूँ	चावल	गेंहूँ	चावल
1.	अप्रैल	60	02	15.84	3.82
2.	मई	60	02	21.58	06.31
3.	जून	60	02	22.68	05.34
4.	जुलाई	26	08	19.79	04.25
5.	अगस्त	26		16.03	04.25
6.	सितम्बर			18.60	03.84
7.	अक्टूबर			16.70	03.90
8.	नवम्बर			20.37	03.84
9.	दिसम्बर			19.64	03.72
10.	छीछन एवं गेंहूं सफाई			24.00	
11.	जनवरी			21.45	03.43
12.	फरवरी	78	24	24.20	03.80
	छीछन एवं गेंहू सफाई			12.00	
	कुल	310	46	252.88	47.60

सारणी क्रमांक : 12 आय–व्यय पत्रक

क्रं.	विवरण	आय	व्यय
1.	दान दाता रसीद से आय	1256501	
2.	कूपन से आय	450790	
3.	बैंक का ब्याज	6060	
4.	बैंक चार्ज और चेकबुक चार्ज व्यय खाता		913
5.	भोजन व्यय खाद्यान्न गेंहूँ,चावल व्यय		35600
6.	एलपीजी गैस		290875
7.	फुटकर व्यय		42825
8.	स्टेशनरी व्यय खाता		5505
9.	भोजन सब्जी व्यय		176938
10.	भोजन किराना व्यय		574970
11.	खाना बनवाई मजदूरी व्यय खाता (वेतन)		504860
12.	नगदी हस्त रोकड		12135
13.	केनरा बैंक श्योपुर में जमा राशि 28/02/2018 तक		68730
	कुल	1713351	1713351

10. मध्य प्रदेश में कमजोर समुदायों के बीच खाद्य और पोषण सुरक्षा कार्यक्रम

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिला सहरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं। आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से पिछडे होने के कारण सहरिया को अति पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। श्योपुर जिला विगत कुछ वर्षो से कुपोषण को लेकर अधिक बदनाम रहा जब इस जिले में बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई थी। सहरिया परिवारों का अधिक गरीब होना, संसाधनों पर नियंत्रण न होना, सरकारी सेवाओं तक उनका पहुॅच न होना इत्यादि बहुत सारे कारण है। इन समस्याओं के समाधान के लिए महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा जर्मन इंटरनेशल कोआपरेशन और डब्ल्यू.एच.एच के सहयोग खाद्य सुरक्षा और विविध पोषण आहार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

सारणी क्रमांक 13–परियोजना का कार्यक्षेत्र

ब्लाक का नाम	पचंायत की संख्या	गांव की संख्या
श्योपुर	8	15
कराहल	21	35
कुल योग	29	50

परियोजना का उद्देश्य :

- 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में वृद्वि करना। इस उम्र की महिलाऐं जिसमें खास कर किशोरी, गर्भवती, धात्री, व अन्य महिलाओं को आंगनवाड़ी से व गांव स्तर पर प्राप्त सेवाओं का लाभ लेकर उनका पोषण स्तर को बढाना जिससे उनमें खून की कमी न हो तथा स्वास्थ्य बेहतर रहे।
- 0 से 23 माह के बच्चों के न्यूनतम पोषण मानक में वृद्वि। बच्चे को सही पोषण प्रदान करने के लिए गृह स्तर पर बच्चों बेहतर पोषण देने और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए मॉ की समझ बनाना।
- समुदाय को हक–अधिकारों की प्राप्ति पर समझ बनाना। वंचित समुदाय अपने अधिकारों को समझें व उन्हे लेने के लिए स्वयं आवाज उठाने योग्य बने ताकि इससे समुदाय का सशक्तिकरण हो और वह शासकीय मूलक योजनाओं तक उनकी पहुॅच बने।

योजना के अंतर्गत किये गये हस्तक्षेप :

- **मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण :** राज्य स्तर पर सहयोगी संस्था के माध्यम से टीम के सदस्यों के क्षमता विकास के लिए मास्टर ट्रेनर्स के अंतर्गत 14 कार्यकर्ताओं को पी.एल.ए चरण–3 और चरण–4 का प्रशिक्षण दिया गया।
- **आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण :** श्योपुर जिले की 1188 आंगनबाड़ियों को सेक्टर बनाकर 30 से 32 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। इसमें ब्लॉक के अनुसार आगनबाडियों को प्रशिक्षित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति लेटर के अनुसार सेक्टर सुपरवाईजर, सी.डी. पी.ओ को आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण में भागीदार बनाया गया। जिससे कि वे पोषण स्वास्थ्य सबंधी बातो को सीख कर महिलाओं विशेषकरर 15 से 49 वर्ष की महिलाये व्यवहार में परिवर्तन कर सकें।
- **पी.एल.ए बैठकों का आयोजन :** जिले की समस्त आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने अपने क्लस्टर स्तर पर इन बैठको का आयोंजन किया। जिसमें 30 से 32 महिलाओं को केन्द्र पर बैठक कर पोषण के बारे में जानकारी दी गयी और इस बैठक में 15 से 49 वर्ष की महिलायेंश्शामिल हुई। इन महिलाओं ने अपनी बहु बेटियों को संदेश देनें और गांव में चल रही गलत मान्यताओं को तोडने में सकरात्मक भूमिका निभाई।
- **पर्यवेक्षक प्रशिक्षण :** महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों का खाद्यय सुरक्षा और पोषण कार्यक्रम के लिए चरण 1 और चरण 2 तथा स्केल अप वालिंटियर के साथ प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उदेश्य लक्ष्य समूह महिलाओं में आहार और विविधता को बेहतर बनाने के लिए पी. एल.ए प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना और आगनवाडी केन्द्रों पर पोषण वाड़ी को बढावा देना है।
- **सामुदायिक बैठक :** गांव स्तर पर सामुदायिक बैठक आयोजित कर बैठक के अनुभवों, सीख और उपलब्धियों को समुदाय के साथ साझा करना है। समुदाय ने 50 गांव मे 4 चरण में सामुदायिक बैठकें की जिसमें 88 आगंनबाडी कार्यर्ताओं ने अपने स्तर पर बैठको का नियमित आयोजन किया। बैठकों से पूर्व की तैयारी में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को निमत्रण पत्र दिया तथा साथ ही समुदाय के सभी वर्ग के लोगो को भी आमंत्रित किया। गांव की 15 से 49 वर्ष की महिलायें जो बैठको मे लगातार भाग ले रही हैं उन्होने समुदाय बैठक की सूचना और प्रचार प्रसार किया। प्रथम चरण की बैठक समुदाय मे प्रथम चरण में फोकस ओर स्केलप दोनो ही बैठकों मे 15 से 49 वर्ष की 49977 महिलाओं ने भागीदारी की। द्वितिय चरण के बैठक में 15 से 49 वर्ष की 48941 महिलाओं ने तथा तृतीय चरण की बैठक में 3037 महिलाओं ने भागीदारी की। चार चरणों को मिलाकर हम 104,834 महिलाओं तक पहुच गए है ओर जिले स्तर पर 12055 बैठके कर चुके हैं।

सारणी क्रमांक–14 विस्तारित गांव में सामुदायिक बैठकों का आयोजन

क्षेत्र	गांव की संख्या	पंचायत की संख्या	सामुदायिक बैठक	15 से 49 वर्ष की महिलाओं की भागीदारी
फोकस	50	27	50	4343
स्केलअप	477	199	439	27849
कुल	**527**	**226**	**489**	**32,192**

- **आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सेक्टर पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण :** सहभागी सीख प्रकिया के चरण 1 में जिले की कुल आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजरो को 50 बैच बनाकर कुल 1169 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गयां। चरण 2 में 48 बैच में 1083 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया, तीसरे चरण में 38 बैच में 1047 तथा चौथे चरण में 4 बैच में कुल 92 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया। कुंल 140 बैच में 3391 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजर ने रोचकता पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- **पोषणवाड़ी :** जिले के 50 सघन गांवो में पोषणवाड़ी लगवाने के 2000 परिवारों का चयन कर 40 परिवार प्रत्येक गांव के हिसाब से प्रत्येक घरों में 100 वर्गफुट में बाड़ी बनायी गया। इसका उद्देश्य आदिवासी घरों के आस पास उपलब्ध भूमि पर पोषक तत्वों वाली सब्जियों व फलदार पौधो की उपलब्धता बनाना जिससे वे साल भर सब्जियों का सेवन कर सके व फल भी प्राप्त कर सके। इसके लिये संस्था की ओर से पालक, मैथी, गाजर, बैंगन, मूली, मटर व धनियॉ (अक्टूबर नबम्बर) कद्दू, करेला, बरबटी, ग्वार, सेम (मई, जून, जुलाई) तोरई, टिण्डा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा (फरवरी, मार्च) का बीज किट व सहजन, अमरुद, पपीता, आम, जामुन, नीबू व अनार के पौधे वितरित किये गय। जिसे सभी परिवारों ने बहुत ही रूचि पूर्वक अपने पोषणवाड़ी में रोपण किया। वर्ष 2017 में नवीन 1500 परिवार एवं पिछले वर्ष के 1400 परिवारों के घरों में नियमित बाडी लगी हुई है। विस्तारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत इस पहल को विजयपुर के 300 आगनवाडी केन्द्रों, श्योपुर के 300 आंगनवाडी केन्द्रों तथा कराहल के 220 आंगनवाडी केन्द्रों एवं 445 सामुदायिक स्थानों जिनमें स्कूल, पंचायत भवन शामिल है वहां पर भी फलदार वृक्ष लगाये गये। वर्तमान समय में 3905 फलदार वृक्ष जीवित है। शासकीय स्तर से 1000 सहजन, 1000 पपीता के वृक्ष समुदाय स्तर पर रोपित किये गये है।
- **सामुदायिक स्कोर कार्ड की प्रगति :** सामुदायिक स्कोर कार्ड प्रक्रिया संचालित सेवाओं में सुधार का एक अच्छा माध्यम है। जिसमें हितग्राही एवं सेवा प्रदाता एक दूसरे को फीडबैक देते है एवं सेवाओं के सुधार हेतु साझा कार्य योजना तैयार की जाती है। जो बहुत ही प्रभावी होती है अब तक फोकस 50 ग्रामों में से 17 ग्रामों में 03 सेवाओं को लेकर सामुदायिक स्कोर कार्ड प्रक्रिया की गई जिसमें

आंगनवाड़ी, राशन वितरण प्रणाली और मध्यान्ह भोजन को को शामिल किया गया था। कार्यक्रम की प्रक्रिया के बाद निरंतर फॉलोअप ले रहे है जिससे उपरोक्त सेवाओं में सुधार देखने को मिल रहा है। यदि किसी ग्राम विशेष में कोई समस्या होती है जिसे ग्राम स्तर पर हल नहीं किया जा सकता है तो संबंधित विभागों के जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से बात करके सुधार की स्थिति के लिए समन्वय स्थापित किया जाता है।

- **गृहभेंटः :** 50 गांव में 10 मास्टर ट्रेनर्स और 10 पोषक सलाहकारों ने 88 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 104 क्लस्टर के साथ समय–समय पर 10000 परिवारों के साथ गृहभेंट किया गया। जिसमें 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में वृद्धि को देखा गया साथ ही 2 से 23 माह के बच्चों के न्यूनतम पोषण मानक में वृद्धि मे बढोतरी को देखा गया ।
- **जल संबंर्धन कार्ययोजना :** संस्था के पहल पर जिला प्रशासन द्वारा 90 नवीन तालाबों निर्माण एवं 77 तालाबों के मरम्मतीकरण की प्रशासकीय सूची तैयार किया गया और रोजगार गांरटी मद से 14 करोड 79 लाख रूपये स्वीकृत की गयी। सामुदायिक वैठकें आयोजित कर जल संरचनाओं को सहेजने हेतु ग्रामीणों को जागरूक किया गया परिणाम स्वरूप समुदाय, प्रशासन एवं एकता परिषद के संयुक्त प्रयास पनार गावं में श्रमदान से जल संरक्षण अभियान को आरंभ किया गया।

परियोजना का प्रभाव :

- श्योपुर में आगनबाडी केन्द्रो पर वजन लिये गये बच्चों की संख्या 82646 रही जिसमें 58788 बच्चों का सामान्य, 20041 बच्चों का वनज कम और 3417 अति कम वनज के बच्चे चिन्हित किये गये। अति कम वनज के बच्चों को एन.आर.सी में भर्ती कराया गया।
- **कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी :** जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आयी है। यह संस्थागत हस्तक्षेप के कारण संभव हुआ है। वजन माप और कुपोषण में कमी के कारण महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश के द्वारा की जा रही रैंकिंग में श्योपुर जिले का रैंक 50 वें नम्बर से बढकर प्रथम रैंक प्राप्त हुआ।

सारणी क्रमांक 15 श्योपुर जिले में ब्लाकवार तथा तहसीलवार कुपोषित बच्चों की संख्या

वर्ष	2015	2016	2017
विजयपुर	316	350	226
कराहल	550	840	332
श्योपुर	425	668	372
कुल	**1291**	**1858**	**930**

- परियोजना कार्यक्षेत्र के अलावा श्योपुर स्केलप में 200 बीज किट का वितरण किया गया जिसमें 400 वंचित परिवारों ने अपने यहां पर बीज रोपित किये। साथ ही कराहल आदिवासी अंचल में 220 बीज किट दी गई जिसमें 428 परिवार लाभार्थी हुए। दुर अंचल विजयपुर में भी परियोजना के अंतर्गत 300 किट दी गई जिसमें 617 परिवारों ने बाडियां लगाई ओर कुल 1445 परिवार लाभार्थी बनें।
- खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता पर केन्द्रित सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत पैरवी सम्बन्धित काम भी किये गये जिसमें पानी के लिए 667 आवेदन, आवास के लिए 1205 आवेदन, भूमि के लिए 987 आवेदन, राशन के लिए 1605 आवेदन, कुपनपर्ची के लिए 1279 आवेदन, शौचालय के लिए 1458 आवेदन, जनसुनवाई के लिए समुदाय की ओर से 643 अवेदन, आंगनबाडी के लिए 231 आवेदन, खाद्य सुरक्षा एवं पोषणविविधता कार्यक्रम के अंतर्गत 18,102 आवेदन समुदाय के सदस्यों के द्वारा लगाये गये। पैरवी करके इन समस्याओं का निराकरण कराया गया।
- कराहल के सघन कार्यक्षेत्र के सहरिया परिवार अब हर रोज सब्जी बनाकर भोजन करते है पोषणबाडी होने से अब लोगों को घर में ही सब्जियां उपलब्ध हो जाती है। अब समुदाय को अपने ही घर की बाडी से हर प्रकार की सागभाजी प्राप्त होती है ओर वह उस का प्रयोग भी करने लगे है।
- शासन स्तर पर पोषणवाड़ी कार्यक्रम को सराहा गया एवं शासकीय स्तर से भी पोषणवाड़ी कार्यक्रम बढावा दिया गया है। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग नें अपनी समस्त आंगनवाडी केन्द्रो पर पोषणवाड़ी लगाने हेतु सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जिससे आंगनवाडी से प्राप्त भोजन में भी आहारीय विविधता को बढ़ाया जा सके।

11. REDUCE AND PREVENT AT RISK HILDREN FROM LABOUR IN COTTON FARMS

Introduction :

Malawa and Nimad region of Madhya Pradesh is well known in cotton production in India. Dhar district produce more and qualitative cotton in this region. Kukshi and Manawar Tahasil is one of the Poorest and Backward Tahasil in Dhar . Both tehsil are the biggest area of business Hub of Dhar District. It falls in the Maharashtra cotton belt providing very good business opportunities. Cotton produced in Kukshi tehsil and its villages are of international quality, having long, fine threads. The market is flourishing and changing the face of the town very quickly. Kukshi also provides a trading opportunity to Bhils who live in the surrounding areas to come for their shopping needs.

Both the Block business is mainly dependent on Agriculture. Most grown crops include Soybean, Cotton, Wheat and Red Chilli. It is known as the Business City of Dhar district. Most of the Bhils families use to engage their children in collection of cotton from plants as a result children attendance decrease in school classes. Indirectly children are abused as a labor, which is very alarming situation.

To address this critical situation, MGSA has intervened to reduce and prevent at risk children from labour in cotton farm in Dhar district of Madhya Pradesh with the support of "SAVE THE CHILDREN'.

Goal of the project :

Reduce and prevent at risk children from labour in cotton farms of Kukshi and Manawar of Dhar district of Madhya Pradesh.

Objectives of the Project :

- 4000 children (6-18 years) engaged in cotton farming and/or at risk of converting into child labour
- 200 youth (15-20 years) who will be trained and provided with viable employment opportunities
- 3000 parents of children working in cotton farming
- 50 Government Officials who will be equipped with adequate awareness and capacity on Child Protection and Child Rights
- 200 women champions who will promote gender equality and equal wages
- 10000 sensitized Community Members.

Table no.16 PROGRAMME AREA DHAR DISTRICT, M.P

NAME OF BLOCK	No. OF PANCHAYAT	No. OF VILLAGE
KUKSHI	11	13
MANAWAR	16	22
TOTAL	27	35

Activities taken during the period:

- **Village level meetings:** 85 meetings at village level with community members and participation of women organized in project area and discussion were made on status of child labour, problems and issues in the community on education, about more than 1800 peoples participated in these meetings.
- **Parents Meeting:** Parents meetings conducted in village to send their children to schools and free from child labour to protect their rights and development. About 74 meetings organized where 781 male and 934 women participated in these meetings.
- **School admission Campaign programme:**. School admission Campaign Started to motivate children and mobilize the parents and community to send their kids and children and enrolled in school education for their education to build their capacity to develop their knowledge in the month of June and September in both tehsil Kukshi and Manawar. The campaign conducted in June covered 35 villages and 124 schools and met with 6294 children and about 7500 parents and other community members. In the campaign the teachers from the 124 schools in the villages took active lead in home visits, sensitisation meetings with parents, SHG members. The campaign in the month of September covered 35 villages and 124 schools and had communication with 1820 children and 904 parents as well as with teachers, members of school management committee of 124 schools and women leaders of SHG. The programme was inaugurated in Kukshi block by Shree Risav ji Gupta SDM and Manawar block this was inaugurated by the MLA Manawar Mrs. Ranjana Baghel.
- **Wall Painting & Sports Items for Mass Education:** Wall of school painted with numbers and alphabets as well as teaching learning materials distributed among 35 primary and upper primary schools in Manawar and Kukshi tehsil. 150 slogans painted on Child labor and Child education both Village and School in all 35 respective villages to generate awareness on education and child rights.
- **Leaflets and Flex for creating Awarness:** 5000 pump lets published and distributed among the different stakeholder and community member about the child education, child labour, child rights and public distribution system to enhance their knowledge.
- **Research and Documentation:** Baseline data collected from 35 villages of Kukshi and

Manawar block of Dhar district to understand the pre-programme situation to understand the status of child labour in the cotton farms. This baseline was covered about 11178 households from 35 villages. Also secondary data collected from village education school education portal. Analysis was focused on target for children enrollment, number of enrolled children, drop out children from school, children with special needs, class wise enrolled. It was helpful to design the strategy of the project and road map to fulfill the objectives.

- **Stakeholder Mapping:** To engage the different stakeholder in the project a stakeholder mapping have been done and identified at village, Gram Panchayat, Block and District level. At village and Gram panchayat level GP President, ward member, SHG members, farmers group, Asha workers, PHC, Live stock inspector identified for awareness generation, act as a pressure group to address any issue, organize health camp, immunization, and technical guidance to the farmer at GP at village level and District collector, Additional Deputy Commissioner, DPO, DWEO, CEO, CDPO, CDEO, CPO, DEO, DLO , BEO, BRC, BAC and CAC at district level to contribute toward the achievement of the project goal.
- **Training and Capacity Building:** Capacity building of team member and their orientation for the implementation of the project is an important process to meet the objectives of the project. In this conjunction, 8 trainings were organized in the field area on project management, impact indicator, documentation and Child Protection schemes, Child rights and other central government schemes relating to children. During the project period capacity building training to SHG women, School Management committee training, Child protection committee training, life skills training on adolescence and school children group training organized in both block. It was very successful to mobile and capacitate the community and member of different stakeholder on the project.

Table no.17 Capacity Building of Project Staff

Theme of Training	No. of Training	Month	Locations
ICPS, CPCs, CGs. RTE ACT and child safe guarding policy	1	May 2017	Dhar
Child rights and protection, Child rights programme, ICPS, JJ ACT, RTE ACT, CL ACT, child rights advocacy	2	May, Sep,17	Kukshi
Human right & child right's programing, Understanding the Rights Framework on Child Protection, Child right advocacy	1	Oct. 2017	Manawar
PROJECT BRIEF, CPC	2	April, May17	Kukshi
CPC &Adolescence group formation	1	Oct, 2017	Manawar
Human right & child right, CRC process and NGO role, Child rights programming in context of target location and target group	1	Nov. 2017	Manawar
ICPS, CPC,	1	Nov. 2017	Manawar
Lalita- babuModual	2	Dec. 2017	Manawar, Kukshi

- **Advocacy and networking:** So many activities were carried out during the project period for the purpose of advocacy and networking with line department in both teshil and at district level officials of different department to engage them into the project. Also, time to time, team members shared the project information and development with them. 3 meetings at district level and 4 meetings at block level organized.

Table No. 18 District level meeting and consultation

Type of Meeting and it's Objective	Month	Participation
District level ICPS related govt. and NGO C		**ng**
Project Grand roll-out	May 2017	12 (DEWO, DEO, DCPO, Child Line, Child Fund, SJPU, JJb, CWC)
on creating non-existent structures as per ICPS	July 2017	13 (DCPO, Child Line, Child Fund, SJPU, JJb, CWC, red-cross society, DCPU)
Individual Meeting with Govt. Officer's for Project Briefing, CPC formation process, Training, youth Skill training availability and collect related information.	Nov. 2017	13 (DEWO, KVK, Khadigramodyog Kendra, CEDMAP, Labour Dept., CWC, JJB, Child Line, Child Fund, DPC, DPM- NRLM, Jan abhiyan Parishad,)
Discuss the issues, strategies and roles for strengthening of CPC in village level	Dec. 2017	17 (Labour Dept., CWC, JJB, Child Line, DPC, SJPU, DCPU)
District level ICPS related govt. and NGO C		
Discuss the issues, strategies and roles for strengthening of CPC in village level	Feb-2018	18 (Labour Dept., CWC, JJB, Child Line, DPC, SJPU, DCPU

Output and outcome of the project:

- 3325 children (6-18 years) engaged in cotton farming and/or at risk of converting into child labour are identified for educational process.
- 2991 youth are identified from the 35 villages for youth skill training out of 200 which 143 got training in Tailoring and Computer course.
- 1505 parents of children working in cotton farming are identified for further sensitisation and rehabilitation process.
- 65 Government Officials from ICPS, SJPU, CWC, JJB, education, WCD and Labour department are sensitised about the child rights issues at village level and are adequately aware on Child Protection.

- 600 women form the active SHGs are identified and 240 of them will be trained as women champions who will promote gender equality and equal wages, produce cotton without involvement of child labour.
- 3432 community members are initially mobilized on child rights and child protection.
- 1425 out of 1207 SMC members has trained on their role and responsibility for school. We covered 95 schools in this reporting period.
- 88 School children Group has formed in 88 govt. Primary and Middle school. There are 1320 children are in these group. They are aware roles and responsibilities in School.
- 242 children who involved labour activity village and rescued
- 35 CPC in all 35 villages and trained 15 CPC's 225 member for importance, role and responsibilities for village and children
- 35 Adolescent groups formed in 35 villages with 547 members and trained 60 Adolescent for group meeting.
- Conducted 45 village level stakeholder (PRI member's- 79, School teacher's- 68, Asha worker's- 54, AWW- 91, Patel's- 48, and community member's- 712 meeting in both the block in this meeting total participate is 1052.

12. बाल आनन्द महोत्सव

बच्चों के जीवन की सारी सुप्त कल्याणकारी शक्तियां अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट हों इसलिए ''बाल आनन्द महोत्सव'' का आयोजन किया जाता है। बालक के भाव–जीवन, विचार, विनम्र तथा निर्माणकारी जीवन के अंगों को पनपने का पूरा अवसर यहां मिलता है। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अंदर समर्थ नागरिकता का बीज बोना है। प्रचलित शिक्षण प्रणाली में जकड़े हुए बच्चों को मुक्त करने पर ही भविष्य की शंतिपूर्ण दुनिया का स्वप्न देखा जा सकता है। जिस समाज के बच्चे नई दुनिया का चित्र न देख सकें वह समाज जड़ बन जाता है। राष्ट्रीय युवा योजना के साथ संयुक्त आयोजन में महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा भाई जी सानिध्य में 18 वां राष्ट्रीय बाल आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय बाल आनन्द महोत्सव का उद्देश्य व महत्व :

- बच्चों की क्षमता, कौशल और नेतृत्व विकास करना।
- बच्चों में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सर्वधर्म मम्भाव को विकसित करना।
- बच्चों में संकोच और झिझक की भावना को दूर करना।
- बच्चों मे अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, मेल–जोल की भावना में वृद्धि, सोचने–समझने की क्षमता का विस्तार करना।
- बच्चों को नई परिस्थिति के अनुकूल समायोजित होने का तरीका, हिम्मत एवं उत्साह, सहभागिता तथा स्वावलंबी गुणों का विकास करना।

बाल आनन्द महोत्सव की तैयारियां : राष्ट्रीय युवा योजना नई दिल्ली और महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा इस महोत्सव का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। आयोजन के लिए एक समिति का गठन मुरैना–श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री अनूप मिश्रा जी की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति के अंतर्गत कई उपसमिति का गठन इसकी तैयारियों के लिए किया गया। स्थानीय निजी विद्यालयों से सम्पर्क कर उनको भी आयोजन समिति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। नगर के प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों, नगर परिषद की अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक के साथ स्वागत समिति बनाकर माननीय संसद महोदय के नेतृत्व में कार्य योजना को मूर्तरूप दिया गया।

मेहमान बच्चों का आगमन : देश के विभिन्न भागों से मेहमान बच्चों का आगमन 23 नवम्बर की रात्रि से ही प्रारंभ हो गया। अतिथियों के आगमन के लिए बनाई गई समिति के सदस्य बच्चों के स्वागत के लिए बहुत ही परिश्रम से मुरैना रेलवे स्टेशन पर अतिथियों का गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण कर और मिठाई प्रदान कर स्वागत किया।

बाल महोत्सव कार्यक्रम की गतिविधियां : राष्ट्रीय बाल आनन्द महोत्सव के लिए पांच दिवसीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण, उद्घाटन व समापन समारोह, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक खेल, सर्वधर्म प्रार्थना, चित्रकला, पोस्टर, कढ़ाई–बुनाई, पेंटिंग, रंगोली, संगीत, मुद्राचित्र, कोलाज, नाटक, गीत, संगीत, कठपुतली, मंहदी, कथा लेखन, कहानी, समूह गान, विज्ञान, बैंक, डाकघर, मिट्टी के खिलौने, जूडो–कराटे इत्यादि गतिविधियां रही।

अतिथि और यजमान बनने का अनोखा अनुभव : इस महोत्सव में भाग लेने वाले बच्चे अतिथि बने और उनका यजमान स्थानीय विद्यालयों के छात्र व छात्रायें बने। बाहर से आने वाले बच्चों का रात्रि पड़ाव और उनके रात्रि भोजन की व्यवस्था यजमान बच्चों के घर पर रहा। स्कार्ट में आये वरिष्ठ साथियों के भी रूकने की व्यवस्था भी बच्चों के वहां पर ही थी। यह एक अनोखा अनुभव बाहर तथा स्थानीय बच्चों के लिए था। उनकी रूचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था यजमान के यहां की गयी। अतिथि बच्चें स्थानीय संस्कृति, भाषा, भोजन और लोगों में उत्साह पूर्वक रूचि प्रदर्शित की।

बाल आनन्द महोत्सव का प्रारंभ (प्रथम दिवस) : बाल महोत्सव में भाग लेने के लिए 24 राज्यों से 485 बालक–बालिकाएं व 150 एस्कॉर्ट एकत्रित हुए थे। बाल आनन्द महोत्सव का प्रारंभ प्रातः 9.00 बजे जौरा नगर परिषद की अध्यक्ष महोदया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तथा भाई जी के गीत के द्वारा बाल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मौजूद स्वागत समिति के अध्यक्ष व सांसद श्री अनूप मिश्रा, राष्ट्रीय युवा योजना के वरिष्ठ साथी, मुरैना नगर निगम के महापौर, स्थानीय विधायक, जिला पंचायत सदस्य, अपर आयुक्त उपस्थित रहे।

द्वितीय दिवस : महोत्सव के दूसरे दिन सुबह से ही आनन्द का माहौल था। प्रत्येक यजमान परिवार अपने मेहमान बच्चे को कोई मोटर साइकिल, कार तथा पैदल लेकर आश्रम में पहुॅच रहे थे। उन परिवारों के चेहरे पर अद्भूत खुशी झलक रही थी और मेहमान बच्चा भी खुश नजर आ रहा था। सुबह 9.00 बजे ध्वजारोहण के साथ उत्सव का प्रारंभ किया गया। पूरे दिन भाई जी के गाने और खेलकूद ने बच्चों का मन मोह लिया था। भाई जी ने बच्चों को संदेश दिया कि पूरी दुनिया में सुख, शांति और खुशहाली लानी है तो हमको जाति, धर्म, प्रांतीयता की भावनाओं से ऊपर उठकर मानवीयता का रिस्ता बनाना होगा। 24 राज्यों के विभिन्न भाषा, वेष–भूषा, रहन–सहन में भिन्नता होने के बावजूद इन बच्चों की खुशी देखकर कोई नहीं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि यह बच्चे एक दूसरे से इतनी विभिन्नताओं के बाद भी अपरिचित हैं। बाल महोत्सव में जहां बच्चों ने पूरे उत्साह, उमंग और जोश के साथ अपनी–अपनी कलाओं में विभिन्न प्रतिभाओं में उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे मिट्टी की मूर्तियां बनाने में व्यस्त रहे। कई बालक–बालिकाओं ने अद्भूत रंगोलियां बनाई तो कुछ बच्चे गायन, भाषण प्रतियोगिता, योगासन, संगीत में भी पीछे नहीं रहे। विभिन्न कार्यक्रमों का संयोजन करने में श्री बाल विजय भाई तथा 24 राज्यों से आये शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का बड़ा योगदान था।

तृतीय दिवस : तृतीय दिवस का प्रारंभ झण्डावंदन के साथ हुआ। तृतीय दिवस के झण्डावंदन के मुख्य

अतिथि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के श्री बालाकुट्टी थे। अपने उद्बोधन में श्री कुट्टी ने कहा कि महात्मा गांधी को हम लोगों ने नहीं देखा लेकिन जिन महात्मा गांधी के रास्ते दुनिया के कई राष्ट्रों ने अहिंसा के माध्यम से शांति स्थापित की और दुनिया को को शांति का रास्ता दिखाया ऐसे गांधी के देश में गांधी आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। सुब्बराव जी के रूप में महात्मा गांधी के दर्शन होते हैं जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। आज यहां 24 राज्यों से आये बच्चे जौरा के 500 घरों में रहकर राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना की मिशाल पेश कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रयासों से ही देश की एकता एवं अखण्डता मजबूत होगी। बाल महोत्सव में विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक कलाओं के प्रदर्शन ने बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता के जज्बात पैदा कर दिये।

देश की एकता, अखण्डता, स्वच्छता एवं साक्षरता तथा बेटी बचाओ के नारों को लेकर 1000 बच्चों ने शांति मार्च करते बच्चे सड़क पर उतरे तो उनके स्वागत में पूरा जौरा खड़ा हो गया। कोई फूल बरसा रहा था तो कोई बच्चों को टॉफियां बांटा और किसी ने रूमाल दिया। जौरा वासियों के इस अभूतपूर्व स्वागत से बाहर से आये बच्चे प्रसन्न हुए। यह आयोजन वास्तव में मानव निर्माण का आयोजन साबित हुआ। जिसमें एक–एक बच्चे ने राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत संस्कारों में अपने आपको ढालने का प्रयास किया।

चतुर्थ दिवस : चतुर्थ दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मुरैना जिले के कलेक्टर श्री भास्कर लक्षाकार ने बाल भारत को संबोधित करते हुए कहा कि हम अनेकता में एकता की बात करते हैं जो यहां व्यवहारिक रूप से जीवंत हो रही है। स्वतः रूप से भिन्न भाषा के बालक–बालिकायें स्थानीय हिन्दी बालक–बालिकाओं के साथ इतने घुल–मिल गये हैं कि उनके बीच जाति, धर्म, सम्प्रदाय या भेष–भूषा की कोई भी लकीरें दिखाई नहीं दे रही हैं। मुरैना के पुलिस अधीक्षक श्री आदित्यप्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस कप्तान तथा जौरा नगर के अनुविभागीय अधिकारी भी उपस्थित हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किये।

समापन (पंचम दिवस) : राष्ट्रीय बाल महोत्सव के समापन दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम कें मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री राघवेन्द्र शर्मा ने कहा कि समाज में फैल रही वैमनस्यता, खत्म होता भाई–चारा, जाति, धर्म की लड़ाईयों को खत्म करने के लिए सत्य, अहिंसा और भाईचारा ही एक मात्र रास्ता है इसके बगैर समाज में शांति असंभव है। भाई जी ने सभी बालक, बालिकाओं को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकेत दिया।

स्मारिका का विमोचन :

इस अवसर पर ''बाल भारत चंबल में'' स्मारिका का विमोचन डॉ. एस.एन. सुब्बराव एवं महात्मा गांधी सेवा आश्रम के सचिव डॉ. रनसिंह परमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति–पत्र व स्मारिका वितरित की गई।

पंजीयन :

पंजीयन के दौरान बच्चों स्वागत पैकेट दिया गया, जिसमें टी–शर्ट, टोपी, पेन और राष्ट्रीय युवा योजना का का बैच प्रदान किया गया।

उपहार (गिफ्ट) :

विभिन्न राज्यों से आये बालक–बालिकाओं को जौरा निवासियों के द्वारा अभूतपूर्व स्वागत किया गया। रैली के दौरान बच्चों को रूमाल, चॉकलेट, बिस्किट के पैकेट दिये गये। सामाजिक संगठनों द्वारा पानी की बोटल, रूमाल बंटवाये गये। अग्रवाल नवयुवती महिला मण्डल ने बिस्किट के पैकेट और दूध महोत्सव में आकर वितरित किये।

अविस्मरणीय क्षण :

महोत्सव का अंतिम दिन की सुबह बहुत ही गमगीन था। जिन स्थानीय बालक–बालिकाओं के यहां बाहरी बालक–बालिकायें ठहरे थे। उन बालक–बालिकाओं के साथ स्थानीय बालक–बालिकाओं के माता–पिता उदास चेहरे लिये आंखों में निकलते आंसूओं को छुपाये थे। कभी अपने आंसू पोछते तो कभी अपने बच्चे के आंसू को पोंछते, जो उनके अतिथि बच्चों के वियोग के कारण बह रही थी। यह अविस्मरणीय दृश्य देखकर हर व्यक्ति की आँखें नम हो रही थीं। स्थानीय बालक–बालिकाओं के माता–पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेहमान बच्चे के लिए खिलौने, कपड़े व कई प्रकार के गिफ्ट के साथ–साथ बहुत सारा प्यार दिया, जो मेहमान बच्चों के लिए विस्मरणीय उपहार था।

प्राचीन स्थलों का बच्चों का भ्रमण :

राष्ट्रीय बाल महोत्सव के समापन के पश्चात् अगले दिन सुबह 8.00 बजे बसों द्वारा सभी बच्चे मुरैना जिले के प्रांचीनतम पर्यटन स्थलों मितावली, बढ़ावली तथा बटेश्वर के भ्रमण के लिए गये और उस दिन सांयकाल 5.00 बजे मुरैना स्थित टाउन हॉल में भाई जी द्वारा भारत की संतान व सर्वधर्म प्रार्थना की गई।

मेहमान बच्चों का प्रस्थान :

मुरैना कार्यक्रम के बाद मेहमान बच्चे अपने दिलों में 18वें बाल महोत्सव की प्यार भरी अविस्मरणीय यादों के साथ विदा हुए।

13. खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (के.आर.डी.पी)

खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार और ऐशियाई विकास बैंक के संयुक्त रूप से खादी सुधार और विकास कार्यक्रम पूरे देश मे चलाया जा रहा हैं। मध्यप्रदेश में वर्ष 2017–18 में 4 संस्थाओं का चयन किया गया जिसमें महात्मा गांधी सेवा आश्रम के 5 वर्षो के कार्यो का विश्लेषण कर चयन किया गया। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महात्मा गांधी सेवा आश्रम को खादी और ग्रामोद्योग के लिये एक मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना हैं।

खादी सुधार व विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य :

- कत्तिन और बुनकरों के लिये बेहतर आय सुनिश्चित करना और खादी के कार्यो में जोडना हैं।
- वर्तमान बाजार की आवश्यकताओं के साथ खादी की स्थिति को निर्धारित करना व खादी को वैश्विक ब्रान्ड के रूप में विकसित करना।
- खादी ग्रामोद्योग भण्डारों का आधुनिकीकरण करना व खादी ब्राण्ड को वैश्विक बनाकर संस्थाओ को स्वावलम्बी बनाना।

खादी सुधार एवं विकास के लिये अनुदान :

- **उत्पादन सुधार :**
  - 50 न्यू माडल चरखा।
  - विकसित लूम।
  - बाविन भरने की मशीन।
  - कारीगरों की कार्य क्षमता बढाने हेतु प्रशिक्षण।
  - कच्चे माल की उपलब्धता।
- **सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना :**
  - सिलाई केन्द्र की स्थापना।
  - रंगाई केन्द्र की स्थापना।
- **धागा और कपडा जांच करने की सुविधा :**
  - आधुनिक बाविन युनिट की स्थापना।
  - बाईडिंग युनिट की स्थापना।

- **विपणन सुधार :**

○ खादी ग्रामोद्योग भण्डारों को आधुनिक बनाने के लिए अनुदान।

○ बिक्री भण्डारों में टाइल रूम की व्यवस्था।

○ वातानुकूलित भण्डार व अत्याधुनिक साज सज्जा के लिये के.वी.आई.सी. द्वारा अनुदान।

- सूचना तकनीकी केन्द्र की स्थापना :

सूचना व तकनीकी केन्द्र की स्थापना के लिये कम्प्यूटर वारकोड प्रिन्टर्स व सूचना तकनीकी केन्द्र के लिए अनुदान मिला है। जिससे खादी उत्पादन व बिक्री में आंकडों का अद्यतन हिसाब–किताब का केन्द्र में होगा। उत्पादन केन्द्र, वस्त्रागार तथा खादी भण्डारों के स्टॉक का लेखा तथा कैशमेमो सभी सामग्री कम्प्यूटरीकृत होगी।

- कत्तिन और बुनकर का भुगतान बैंक खाता में आनलाइन किया जायेगा।

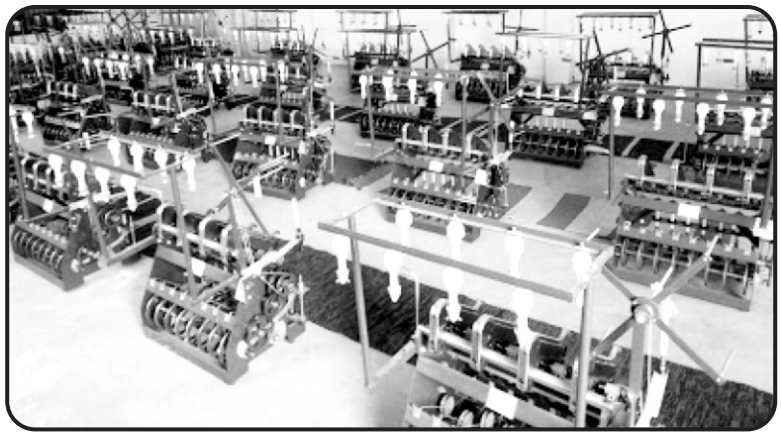

मुरैना. आसपास

चंबल व...
मिलेगी...

कुपोषण | ग्राम जाटखेड़ा और पनार में हुई सामुदायिक बैठक, एसपी विधायक रहे मौजूद

श्योपुर के ...

टीका मिटा...

बच्चाओं ने कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए

सामाजिक सेवा दायित्व निभा रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता : कविता

...ा करती जिला अध्यक्ष।

...अपने काम को समाज ... महिलाओं को जागरूक करना भी

. श्यामपुर ग्वालियर, सोमवार 04 सितंबर, 2017 | 15

लोगों को जागरूक करने बच्चों ने निकाली रैली

गिरधरपुर में लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निका...

भास्कर संवाददाता | गिरधरपुर

आदिवासी अंचल में कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए एकीकृत बाल विकास विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण सप्ताह के तहत गिरधरपुर में रैली निकाली गई। रैली में आंगनबाड़ी के बच्चे और किशोरी बालिकाओं ने भाग लेकर लोगों को कुपोषण से मुक्ति पाने के लिए जागरूक होने का संदेश दिया।

पोषण जागरूकता रैली आंगनबाड़ी केंद्र से प्रारंभ की गई। जिसमें दो समानांतर कतार में बच्चे और किशोरी बालिकाएं अपने हाथों में पोषण का संदेश लिखी... थामे और नारे लगाते ... स्टेशन रोड, सब्जी मंडी ... भवन, हीरापुर कॉलोनी ... रैली वापस आंगनबाड़ी ... जाकर समाप्त हुई। इस ... पर महात्मा गांधी सेवा आ... चलाए जा रहे खाद्य ... पोषण विविधता अभियान ... ट्रेनर राधावल्लभ जांगि... सलाहकार लाल किशन ... आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनी... नाजिरा खान ने पोषण ... तहत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी।

पत्रिका . इंदौर . सोमवार. 26.06.2017

स्कूल चले हम...

'अभी करनी है हमें पढ़ाई, मत करवाओ हमसे कमाई'

बाल मजदूरी रोकने व बच्चों को स्कूल जाने के लिए किया प्रेरित